रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 ई० (आश्विन 4, 1942 शक संवत्) [संख्या 38

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	927–940	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	669–678	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	175–188	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	693–694	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	275–282	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	523–542	975
स्टोर्स–पचैज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[पुलिस]

अनुभाग-9

अधिसूचना

(शक्ति)

03 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 यू0ओ0-58/छः-पु0-9-2020-836 पीएसटीई/2016—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 02 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परीक्षाओं के समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को, जैसा कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 17 सन् 1962) की धारा 2 के खण्ड (ढ) में परिभाषित है, दिनांक 12 सितम्बर, 2020 एक दिन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

आज्ञा से,
भगवान स्वरूप,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. UO-58/VI-P-9-20-836-PSTE/2016,** dated September 03, 2020:

No. UO-58/VI-P-9-20-836-PSTE/2016

September 03, 2020

In exercise of the power under section 21of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint for One day *i.e.* on September 12, 2020, the Superintendents of the Centres of Examination conducted by Joint Entrance Examination, Uttar Pradesh as defined in clause (n) of Section-2 of Uttar Pradesh Technical Education Act, 1962 (U.P. Act No. XVII of 1962) as Executive Magistrates, to be known as Special Executive Magistrates and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said code on such Executive Magistrates to be exercised within the limits of the respective centres of which they are the Superintendents.

By order,
BHAGWAN SWARUP,
Secretary.

प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-2

संशोधन/शुद्धि-पत्र

24 अगस्त, 2020 ई0

सं0 896 (1)/सोलह-2-2020—शासन के नियुक्ति/विज्ञप्ति संख्या 896/सोलह-2-2020, दिनांक 23 जुलाई, 2020 द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर), उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में प्रवक्ता

सिविल अभियंत्रण के 01 पद (ई0पी0सी0 विशिष्टता के साथ) पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर श्री अनस शाहिद मुल्तानी पुत्र श्री शाहिद मुल्तानी, आजाद नगर, राहुखेड़ी कोरा, नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण के 01 पद (ई0पी0सी0 विशिष्टता के साथ) पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये राजकीय पॉलिटेक्निक, देवरिया में तैनात किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये थे।

2—उक्त नियुक्ति/विज्ञप्ति दिनांक 23 जुलाई, 2020 में तैनाती की संस्था के नाम में टंकण त्रुटिवश राजकीय पॉलिटेक्निक, चरियाव बुजुर्ग सदर, देवरिया के स्थान पर राजकीय पॉलिटेक्निक, देवरिया अंकित हो गया है। अतः उक्त नियुक्ति/विज्ञप्ति दिनांक 23 जुलाई, 2020 में तैनाती की संस्था राजकीय पॉलिटेक्निक, देवरिया के नाम को संशोधित करते हुये राजकीय पॉलिटेक्निक, चरियॉव बुजुर्ग सदर, देवरिया पढ़ा जायेगा।

3—उक्त नियुक्ति/विज्ञप्ति संख्या 896/सोलह-2-2020, दिनांक 23 जुलाई, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त नियुक्ति/विज्ञप्ति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,
सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-5

कार्यालय-आदेश

13 अगस्त, 2020 ई0

सं0 1488/पाँच-5-2020—डा0 मनोज कुमार दुबलिश तत्कालीन दन्त सर्जन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मवाना, मेरठ के विरुद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त रहने तथा शासकीय आवास में निवास न करने के आरोपों के लिये आदेश संख्या 145/चिकि-4-61 सा0/1993, दिनांक 07 जनवरी, 1994 द्वारा निलम्बित किया गया था तथा डा0 दुबलिश के विरुद्ध कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1226/चि-3-99-61सा0/1999, दिनांक 26 अप्रैल, 1999 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी थी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

2—डा0 मनोज कुमार दुबलिश के विरुद्ध संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही की जांच आख्या जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2005 के माध्यम से शासन में प्राप्त हुई। जांच में डा0 दुबलिश के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये गये। उक्त सिद्ध आरोपों के दृष्टिगत अनुशासनिक कार्यवाही में डा0 मनोज कुमार दुबलिश की सेवाएं समाप्त करने का दण्ड विनिश्चित करते हुये, प्रस्ताव लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु प्रेषित किया गया। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 296/31/ए0डी0सी0/से-8/2005-06, दिनांक 09 मई, 2006 द्वारा उक्त प्रस्तावित दण्ड पर आयोग की सहमति प्राप्त हुई, तद्नुसार कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2544/चि-3-06-61सा0/93, दिनांक 22 जून, 2006 द्वारा डा0 मनोज कुमार दुबलिश की सेवायें समाप्त कर दी गयीं।

3—उक्त दण्डादेश दिनांक 22 जून, 2006 के विरुद्ध डा0 मनोज कुमार दुबलिश ने मा0 लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका संख्या 642/2016 दाखिल की गयी, जिसे मा0 अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 20 मार्च, 2018 द्वारा खारिज कर दिया। तदुपरान्त डा0 दुबलिश ने मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 14129 (एस0बी0)/2018 योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को पारित अपने निर्णय में प्रकरण मा0 अधिकरण को वापस करते हुये निस्तारित करने के आदेश दिये। तत्क्रम में मा0 अधिकरण ने निर्देश याचिका संख्या 642/2016 में दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को निम्नलिखित निर्णय पारित किया—

''तद्नुसार याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आलोच्य कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 10 फरवरी, 2016 एवं 22 जून, 2006 अपास्त किये जाते हैं। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वह याची को जांच आख्या की प्रति प्रदान करते हुये कारण बताओ नोटिस निर्गत करेंगे। इस सम्बन्ध में याची द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर उस पर विचार कर पुनः नियमानुसार आदेश पारित करेंगे।''

4–मा0 लोक सेवा अधिकरण के उक्त निर्णय दिनांक 20 नवम्बर, 2018 के अनुपालन में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम 9(4) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या 186/पाँच-5-2019, रिट-38/2016, दिनांक 23 अप्रैल, 2019 द्वारा जांच आख्या की प्रति संलग्न करते हुये जांच आख्या पर डा0 मनोज दुबलिश से उनका लिखित स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन मांगा गया है। उक्त के प्रतिउत्तर में डा0 दुबलिश ने अपने पत्र दिनांक 06 मई, 2019 के माध्यम से स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन शासन को प्रस्तुत किया है। डा0 दुबलिश ने अपने अभ्यावेदन में न तो अनुशासनिक कार्यवाही में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में और न ही जांच अधिकारी की आख्या के सम्बन्ध में कोई तथ्यपरक बात कही गयी है। बल्कि उनके द्वारा अपने अभ्यावेदन में विभागीय अत्याचार, षड्यंत्र आदि का उल्लेख करते हुये निलम्बन को पूर्णतया गलत बताया गया है। उन्होंने अपने अभ्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया है जिससे यह सिद्ध हो कि जांच अधिकारी की आख्या में दिये गये निष्कर्ष सही नहीं है।

5–उपरोक्त वर्णित स्थिति में डा0 मनोज दुबलिश के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में लगाये गये आरोपों, जांच आख्या एवं उस पर उनके अभ्यावेदन दिनांक 06 मई, 2019 एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक कार्यवाही में सिद्ध पाये गये आरोपों के दृष्टिगत, उन्हें सेवा से हटाये जाने, जो भविष्य में सेवा से निरर्हित नहीं करता हो, का दण्ड दिये जाने का विनिश्चिय करते हुये उक्त प्रस्तावित दण्ड पर लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने हेतु आयोग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। उप सचिव, लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 61/13/ए0डी0सी0-एस-8/2019-20, दिनांक 27 जून, 2020 द्वारा उक्त प्रस्तावित दण्ड पर आयोग की सहमति प्राप्त हुई है।

6–अतएव डा0 मनोज कुमार दुबलिश, दन्त सर्जन के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में लगाये गये आरोपों की जांच आख्या, जांच आख्या पर उनके अभ्यावेदन तथा प्रस्तावित दण्ड पर लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, डा0 मनोज कुमार दुबलिश को सेवा से हटाये जाने जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता है, का दण्ड प्रदान करते हुये उनके विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करते हैं।

आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

02 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 डी0एफ0ए0 58497/65-1099/21/2020–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन), 2017 के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स, लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर उक्त वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्राचार का पता	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
श्री अजय कुमार	श्री ओमपाल	**स्थायी पता**-ग्राम व पोस्ट-जंगेठी, तहसील मेरठ, जनपद-मेरठ, उ0प्र0, पिन कोड-250341 **वर्तमान पता**-ग्राम व पोस्ट-जंगेठी, तहसील-मेरठ, जनपद-मेरठ, उ0प्र0, पिन कोड-250341	मेरठ	बिजनौर

2—श्री अजय कुमार की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3—श्री अजय कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, चरित्र सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु सम्बन्धी न हो आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम् 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग-व्यय/यात्रा-व्यय देय नहीं होगा।

4—श्री अजय कुमार का नियुक्ति पर इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के उपरान्त यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, जो सम्बन्धित को सरकारी सेवा में योजित करने में बाधक हो तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5—श्री अजय कुमार तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भांति समझेंगे और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे।

27 अगस्त, 2020 ई0

सं0 डी0एफ0ए0 58552/65-1099/21/2020—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन), 2017 के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स, लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर उक्त वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्राचार का पता	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	श्री शशिकान्त सिंह	**स्थायी पता**-ग्राम-महुजी, पो0-विरासराय, थाना-घीना, जनपद-चन्दौली, उ0प्र0, पिन कोड-232106 **वर्तमान पता**-ग्राम-महुजी, पो0-विरासराय, थाना-घीना, जनपद-चन्दौली, उ0प्र0, पिन कोड-232106	चन्दौली	कानपुर देहात

2—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, चरित्र सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु सम्बन्धी न हो आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम् 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग-व्यय/यात्रा-व्यय देय नहीं होगा।

4—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह का नियुक्ति पर इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के उपरान्त यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, जो सम्बन्धित को सरकारी सेवा में योजित करने में बाधक हो तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भांति समझेंगे और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे।

सं0 डी0एफ0ए0 58539/65-1099/21/2020—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन), 2017 के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स, लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर उक्त वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्राचार का पता	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
सुश्री प्रियंका यादव	श्री राम निवास सिंह यादव	**स्थायी पता**-म0नं0-475, ग्राम-रामनन्दन का पुरा तॉजपुर देहमॉ, तहसील-मोहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर, उ0प्र0, पिन कोड-233228 **वर्तमान पता**-म0नं0-475, ग्राम-रामनन्दन का पुरा तॉजपुर देहमॉ, तहसील-मोहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर, उ0प्र0, पिन कोड-233228	गाजीपुर	संत कबीर नगर

2—सुश्री प्रियंका यादव की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3—सुश्री प्रियंका यादव को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पति न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, चरित्र सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु

सम्बन्धी न हो आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम् 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होती हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग-व्यय/यात्रा-व्यय देय नहीं होगा।

4–सुश्री प्रियंका यादव का नियुक्ति पर इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के उपरान्त यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, जो सम्बन्धित को सरकारी सेवा में योजित करने में बाधक हो तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5–सुश्री प्रियंका यादव तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भांति समझेंगे और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे।

सं0 डी0एफ0ए0 58535/65-1099/21/2020–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन), 2017 के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स, लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर उक्त वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्राचार का पता	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
श्री पारसनाथ यादव	श्री लालता प्रसाद	**स्थायी पता**-ग्राम-मल्लूपुर पो0-बेलहारी, थाना-केराकत, जनपद-जौनपुर, उ0प्र0, पिन कोड-222142 **वर्तमान पता**-ग्राम-मल्लूपुर पो0-बेलहारी, थाना-केराकत, जनपद-जौनपुर, उ0प्र0, पिन कोड-222142	जौनपुर	बुलन्दशहर

2–श्री पारसनाथ यादव की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3–श्री पारसनाथ यादव को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, चरित्र सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु सम्बन्धी न हो आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम् 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग-व्यय/यात्रा-व्यय देय नहीं होगा।

4–श्री पारसनाथ यादव का नियुक्ति पर इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के उपरान्त यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, जो सम्बन्धित को सरकारी सेवा में योजित करने में बाधक हो तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5—श्री पारसनाथ यादव तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भांति समझेंगे और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे।

सं0 डी0एफ0ए0 58527/65-1099/21/2020—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन), 2017 के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स, लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर उक्त वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्राचार का पता	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	श्री श्याम लाल सिंह	**स्थायी पता**-1351बीए 46ए, जयरामपुर, राजरूपपुर, जनपद-प्रयागराज, उ0प्र0, पिन कोड-211011 **वर्तमान पता**-1351बीए 46ए, जयरामपुर, राजरूपपुर, जनपद-प्रयागराज, उ0प्र0, पिन कोड-211011	प्रयागराज	मैनपुरी

2—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, चरित्र सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु सम्बन्धी न हो आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम् 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग-व्यय/यात्रा-व्यय देय नहीं होगा।

4—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह का नियुक्ति पर इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के उपरान्त यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, जो सम्बन्धित को सरकारी सेवा में योजित करने में बाधक हो तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भांति समझेंगे और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे।

सं0 डी0एफ0ए0 58547/65-1099/21/2020—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन), 2017 के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स, लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण

करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर उक्त वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्राचार का पता	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
श्री अभिषेक उपाध्याय	श्री अरूण उपाध्याय	**स्थायी पता**-एस 28-9ए-11ए, कुबेरनगर, अनौला, वाराणसी, उ0प्र0, पिन कोड-221002 **वर्तमान पता**-एस 28-9ए-11ए, कुबेरनगर, अनौला, वाराणसी, उ0प्र0, पिन कोड-221002	वाराणसी	कौशाम्बी

2–श्री अभिषेक उपाध्याय की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3–श्री अभिषेक उपाध्याय को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, चरित्र सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु सम्बन्धी न हो आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम् 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग-व्यय/यात्रा-व्यय देय नहीं होगा।

4–श्री अभिषेक उपाध्याय का नियुक्ति पर इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के उपरान्त यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, जो सम्बन्धित को सरकारी सेवा में योजित करने में बाधक हो तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5–श्री अभिषेक उपाध्याय तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भांति समझेंगे और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे।

आज्ञा से,
हेमन्त राव,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

14 अगस्त, 2020 ई0

सं0 1048/23-4-2020-45 ए0ई0/2017–श्री रवीन्द्र कुमार ओझा, तत्कालीन अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के विरुद्ध प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 16 जुलाई, 2014 द्वारा

संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के आदेश संख्या 3002 ईएफ(ख)/सी-59ईएफ-2003/14 टी0सी0, दिनांक 12 जनवरी, 2018 द्वारा उनकी एक वेतनवृद्धि 02 वर्षों के लिये अस्थायी रूप से रोकते हुये समाप्त की गयी।

2—श्री रवीन्द्र कुमार ओझा के विरुद्ध तत्समय दण्डादेश प्रभावी होने के कारण उन्हें चयन वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया तथा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में शासन के विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 682/23-4-18-45 एई/2017, दिनांक 23 मार्च, 2018 द्वारा श्री रवीन्द्र कुमार ओझा (ज्येष्ठता क्रमांक-4214) से कनिष्ठ श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-4215) को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी।

3—चयन वर्ष 2019-20 में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर चयन के सम्बन्ध में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज में सम्पन्न चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में शासन के विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 414/23-4-20-06 एन0जी0/2019, दिनांक 13 मार्च, 2020 द्वारा श्री रवीन्द्र कुमार ओझा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी।

4—उक्त दण्डादेश दिनांक 12 जनवरी, 2018 के विरुद्ध श्री ओझा द्वारा प्रस्तुत अपील 29 मई, 2018 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2735/23-13-19-9(2)ईएम/14, दिनांक 15 नवम्बर, 2019 द्वारा सन्दर्भित दण्डादेश दिनांक 12 जनवरी, 2018 को निरस्त करते हुये निस्तारित की गयी।

5—श्री ओझा के विरुद्ध निर्गत दण्डादेश दिनांक 12 जनवरी, 2018 निरस्त होने के उपरान्त प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पत्रांक 605 व्यघशा/610 व्यघ/2018, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 द्वारा कनिष्ठ की भांति श्री ओझा को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या 412/23-4-20-45 एई/17, दिनांक 13 मार्च, 2020 द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 से 30 जून, 2019 तक की अवधि के लिये सहायक अभियन्ता का एक अधिसंख्य पद सृजित किया गया तथा शासन के पत्र संख्या 4241/23-4-20-45 ए0ई0/2017, दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा प्रकरण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को विचारार्थ संदर्भित किया गया।

6—शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 20 मार्च, 2020 के क्रम में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 654/05/पी/एस-6/2017-18, दिनांक 31 जुलाई, 2020 द्वारा मा0 आयोग की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी।

7—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, श्री रवीन्द्र कुमार ओझा, तत्कालीन अवर अभियन्ता (सिविल) (ज्येष्ठता क्रमांक-4214) को उनसे कनिष्ठ श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-4215) की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर की गयी पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 23 मार्च, 2018 से वेतन बैण्ड-2, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित पे बैण्ड-3 के लेवल-10) में नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

8—श्री रवीन्द्र कुमार ओझा का वेतन निर्धारण कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28 मई, 1997 के प्रस्तर-1(8) व 1(9) में निहित प्राविधानुसार निर्धारित किया जायेगा।

9—श्री रवीन्द्र कुमार ओझा उक्त पदोन्नति सिविल अपील संख्या 3695/2007, अतिबल सिंह बनाम श्री प्रमोद शंकर उपाध्याय व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2019 के अनुक्रम में मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गठित की जाने वाली खण्डपीठ में पारित होने वाले निर्णय तथा रिट याचिका संख्या 16986/2019, मार्कण्डेय तिवारी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के

अधीन होगी। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत चयन से सम्बन्धित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,
डा0 चन्द्र भूषण,
विशेष सचिव।

अनुभाग-3

पदोन्नति

24 अगस्त, 2020 ई0

सं0 28/2020/1155/23-3-2020-21ईएस/2019—कार्यालय-ज्ञाप संख्या 15/2020/394/23-3-2020-21 ईएस/19, दिनांक 20 फरवरी, 2020 द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को कार्मिक विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28 मई, 1997 के प्रस्तर-1(5) में दी गयी व्यवस्थानुसार सुरक्षित रखे गये पदों के विरुद्ध काम चलाऊ प्रबन्ध के रूप में मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण अथवा आगामी चयन तक, जो भी पहले हो, के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्यालय-ज्ञाप को निरस्त करते हुये श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900 (पे-मैट्रिक्स लेवल-13क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री देवेन्द्र कुमार मिश्र, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

सं0 29/2020/1156/23-3-2020-21ईएस/2019—कार्यालय-ज्ञाप संख्या संख्या 16/2020/395/23-3-2020-21 ईएस/19, दिनांक 20 फरवरी, 2020 द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार जैन, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को कार्मिक विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28 मई, 1997 के प्रस्तर-1(5) में दी गयी व्यवस्थानुसार सुरक्षित रखे गये पदों के विरुद्ध काम चलाऊ प्रबन्ध के रूप में मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण अथवा आगामी चयन तक, जो भी पहले हो, के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्यालय-ज्ञाप को निरस्त करते हुये श्री वीरेन्द्र कुमार जैन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900 (पे-मैट्रिक्स लेवल-13क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री वीरेन्द्र कुमार जैन, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

सं0 30/2020/1157/23-3-2020-21ईएस/2019—कार्यालय-ज्ञाप संख्या 17/2020/396/23-3-2020-21 ईएस/19, दिनांक 20 फरवरी, 2020 द्वारा श्री संदीप अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को कार्मिक विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28 मई, 1997 के प्रस्तर-1(5) में दी गयी व्यवस्थानुसार सुरक्षित रखे गये पदों के विरुद्ध काम चलाऊ प्रबन्ध के रूप में मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण अथवा आगामी चयन तक, जो भी पहले हो, के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्यालय-ज्ञाप को निरस्त करते हुये श्री संदीप अग्रवाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900 (पे-मैट्रिक्स लेवल-13क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री संदीप अग्रवाल, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

सं0 31/2020/1158/23-3-2020-21ईएस/2019—उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री राजेश कुमार मिश्रा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900 पे-मैट्रिक्स लेवल-13क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री राजेश कुमार मिश्रा, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

सं0 32/2020/1159/23-3-2020-21ईएस/2019—उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री संजय कुमार श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900 पे-मैट्रिक्स लेवल-13क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव।

अनुभाग-4

त्याग-पत्र

01 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 1131/23-4-2020-69 जनरल/2018—कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 1701ईएई/1009ईए/2009, दिनांक 14 अगस्त, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 सरकारी सेवक त्याग-पत्र नियमावली, 2000 में प्रदत्त व्यवस्था के तहत श्री गजेन्द्र सिंह बृजवासी, सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर द्वारा दिये गये त्याग-पत्र को दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डा0 चन्द्र भूषण,
विशेष सचिव।

अनुभाग-1

अधिसूचना

25 अगस्त, 2020 ई0

सं0 1064सा0/2020-1064सा0/23-1-20-53सा0/20—जनपद-बुलन्दशहर के जहांगीराबाद-औरंगाबाद मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-18.05 किमी0) का नाम ''शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 390/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/19, दिनांक 05 अगस्त, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-बुलन्दशहर के जहांगीराबाद-औरंगाबाद मार्ग (अन्य जिला मार्ग, लम्बाई-18.05 किमी0) का नामकरण ''शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

खाद्य एवं रसद विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

19 अगस्त, 2020 ई0

सं0 रा-625/29-1-2020—श्री शोभ नाथ यादव, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-1, वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-10) को नियमित चयनोपरान्त उप आयुक्त (खाद्य) के पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 6,600) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-11) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री यादव की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 रा-625/29-1-2020—श्री दिलीप कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-9) को नियमित चयनोपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-1 के पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-10) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री दिलीप कुमार की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 रा-625/29-1-2020—श्री अजय प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-9) को नियमित चयनोपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-1 के पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-10) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री अजय प्रताप सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 रा-625/29-1-2020—श्री राजेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-9) को नियमित चयनोपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-1 के पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-10) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री राजेश कुमार की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 रा-625/29-1-2020—श्री नीरज सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-9) को नियमित चयनोपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-1 के पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-10) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री नीरज सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 रा-625/29-1-2020—श्रीमती सीमा सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-9) को नियमित चयनोपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-1 के पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-10) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्रीमती सीमा सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 रा-625/29-1-2020—श्री राकेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-9) को नियमित चयनोपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-1 के पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-10) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री राकेश कुमार की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 रा-625/29-1-2020—श्री विजय प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-9) को नियमित चयनोपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-1 के पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-10) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री विजय प्रताप सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 रा-625/29-1-2020—श्री संजय कुमार प्रसाद, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-9) को नियमित चयनोपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-1 के पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-10) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री संजय कुमार प्रसाद की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 रा-625/29-1-2020—श्री अंजनी कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-9) को नियमित चयनोपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-1 के पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स-10) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री अंजनी कुमार सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
संतोष कुमार सक्सेना,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0—26 हिन्दी गजट—भाग 1—2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 ई० (आश्विन 4, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जालौन स्थान उरई के जिलाधिकारी की आज्ञायें

04 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 1597/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	कंजौसा	276/1	4.699 में से 1.000	6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो (बेहड़)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत मधेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना कंजौसा।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्थान द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 7,50,000.00 (मु0 सात लाख पचास हजार मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1598/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	कोटा मुस्तिकिल	13-मि0	हेक्टेयर 2.0300 में से 1.000	6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो (बेहड़)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत कोटा मुस्तिकिल ग्राम समूह पेयजल योजना कोटा मुस्तिकिल।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्थान द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 7,50,000.00 (मु0 सात लाख पचास हजार मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1599/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न

अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	उरई	उरई	रिरूआ	610	हेक्टेयर 0.255 में से 0.160	5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य (बंजर भूमि)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना रिरूआ।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्थान द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,67,750.00 (मु0 दो लाख सरसठ हजार सात सौ पचास रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1600/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	उरई	उरई	मुहम्मदाबाद	502	हेक्टेयर 0.251 में से 0.160	5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य (बंजर भूमि)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना मुहम्मदाबाद।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्थान द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 5,71,200.00 (मु0 पांच लाख इकहत्तर हजार दो सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1601/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	उरई	शहपुरा	206-क	0.331 में से 0.160	6-2/अन्य कृषि योग्य (बंजर भूमि)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना शहपुरा।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्थान द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,84,800.00 (मु0 एक लाख चौरासी हजार आठ सौ रुपया मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

डा0 मन्नान अख्तर,
जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

28 जुलाई, 2020 ई0

सं0 2940/जी0-15/54/80-19—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी के ग्राम परवेजपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2941/जी0-155/39-86—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम फुलवरिया तप्पा नगवा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2942/जी0-29/54-81—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम बीरपुर बहतमाली तप्पा बैनिया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2943/जी0-265/54-87—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर के ग्राम वाजिदचक में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2944/जी0-362ए/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवा, जनपद महराजगंज के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
महराजगंज	नौतनवा	1	पिपरिया तप्पा लेहड़ा
		2	औरहवा कला तप्पा कटहरा
		3	औरहवा खुर्द तप्पा कटहरा

31 जुलाई, 2020 ई0

सं0 2986/जी0-201/91—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, जनपद मीरजापुर के ग्राम सुइया कला तप्पा उपरौध में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2987/जी0-154ए/70—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील करनैलगंज, जनपद गोण्डा के ग्राम पूरेलाली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2988/जी0-168/59-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम गुलामखेड़ा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2989/जी0-28/2019-20(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिल्सी, जनपद बदायूं के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बदायूं	बिल्सी	1	टिटौली
		2	कटिन्ना
		3	रियोनाई कुन्दन
		4	खौसारा

06 अगस्त, 2020 ई0

सं0 3029/जी0-156/61—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नजीबाबाद, जनपद बिजनौर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बिजनौर	नजीबाबाद	1	गुढ़ा
		2	दहीरपुर

सं0 3030/जी0-161/59—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के

अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बस्ती (सदर), जनपद बस्ती के ग्राम पाथरभीर तप्पा पिपरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3031/जी0-161/59—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बस्ती (सदर), जनपद बस्ती के ग्राम सिसवारी कुंवर तप्पा पिपरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3032/जी0-153/67-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सलोन, जनपद रायबरेली के ग्राम गद्दीपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3033/जी0-159/70/2019—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम शमशपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3034/जी0-178/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम दुलही तप्पा हाटा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3035/जी0-236/63(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नगीना, जनपद बिजनौर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बिजनौर	नगीना	1	शाहअलीपुर ए0
		2	हसनपुर गल्ला
		3	तारापुर
		4	डेलपुरा नन्नू
		5	रसूलपुर जागन

10 अगस्त, 2020 ई0

सं0 3123/जी0-201/64-2019—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद मीरजापुर के ग्राम पसैया डगमगपुर तप्पा-84 में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

11 अगस्त, 2020 ई0

सं0 3226/जी0-153/61-2006—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बरेली	फरीदपुर	1	महेशपुर
		2	मेवापट्टी

20 अगस्त, 2020 ई0

सं0 3296/जी0-61/57-15(2)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सम्भल, जनपद सम्भल के ग्राम मूसापुर ईसापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3295/जी0-361/60—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद जौनपुर के ग्राम कामदेवपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

25 अगस्त, 2020 ई0

सं0 3316/जी0-329ए/58-87—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील स्याना, जनपद बुलन्दशहर के ग्राम खादमोहन नगर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3317/जी0-159/61/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के

अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस के ग्राम नगला सकत में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

27 अगस्त, 2020 ई0

सं0 3329/जी0-48/54-80(2)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के ग्राम चड़ई में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

03 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 3359/जी0-155/67–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिसवां, जनपद सीतापुर के ग्राम गोंदलामऊ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3360/जी0-163/59(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद हरदोई के ग्राम नयागाँव हबीबपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3361/जी0-241/63–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
बरेली	बहेड़ी	1	भिलौर
		2	बुझिया

07 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 3434/जी0-155/67(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिसवां, जनपद सीतापुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं :

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
सीतापुर	बिसवां	1	कालूपुर
		2	बालपुर

सं0 3435/जी0-175/66—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मड़ियाहूँ, जनपद जौनपुर के ग्राम केड़वारी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3436/जी0-610/84—जनपद सीतापुर की तहसील बिसवां, परगना बिसवां के ग्राम आडामंगेर, गडुआडीह, सहेरवा, पखनिया तथा सेउता, परगना बिसवां को चकबन्दी प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने हेतु उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4-क (2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 4990/जी0-610/2012, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 निर्गत की गयी थी। उक्त विज्ञप्ति में कतिपय त्रुटियां विद्यमान होने के कारण शासन के पत्र संख्या 999/एक-8-2020-रा0-8, दिनांक 17 अगस्त, 2020 द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त ग्रामों एवं परगना के नाम को संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। संशोधित विवरण निम्नवत् है :

सूची

क्र0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	धारा
1	2	3	4	5	6
1	सीतापुर	बिसवां	बिसवां	सहेरुवा	धारा 4-क(2)
2	सीतापुर	बिसवां	बिसवां	गडवाडीह	धारा 4-क(2)
3	सीतापुर	बिसवां	बिसवां	पखनियापुर	धारा 4-क(2)
4	सीतापुर	बिसवां	बिसवां	ओडाझार	धारा 4-क(2)
5	सीतापुर	बिसवां	कोण्डरी उत्तरी	सेउता	धारा 4-क(2)

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—26 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 ई० (आश्विन 4, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

15 जुलाई, 2020 ई0

सं0 3173/23-13 (2018-2021) स्था0नि0स0-II–जिला पंचायत, वाराणसी द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) की अनुसूची (ड़) के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे साइन बोर्ड एवं दीवारों पर लेखन अथवा पेंटिंग को विनियमित, नियंत्रित एवं निषेध करने के सम्बन्ध में उपविधि बनायी गयी है, जिसकी मैं, दीपक अग्रवाल, आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं जो कि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। इस उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधि स्वतः निरस्त हो जायेगी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (1)(2) की अनुसूची (ड़) के अन्तर्गत जिला पंचायत, वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे साइन बोर्ड एवं दीवारों पर लेखन अथवा पेंटिंग को विनियमित तथा नियंत्रित एवं निषेध के सम्बन्ध में पंचायत द्वारा लाइसेंस लेने हेतु उपविधि बनायी गयी है। उक्त उपविधि जिला पंचायत की बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2018 में प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित है। मा0 आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर पुष्टि के उपरान्त राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। सर्वसाधारण से समाचार-पत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं, जो जिला पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत समय के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधि

1–यह उपविधि ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञापन पट्ट, दीवार प्रचार कार्य को नियंत्रित एवं विनियमन की उपविधि कहलायेगी।

2–यह उपविधि आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा पुष्टि होने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन होने की तिथि से लागू होगी।

3–**परिभाषायें**–

(अ) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 3(10) में यथा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र से है।

(ब) "विज्ञापन पट्ट" का तात्पर्य ऐसी होर्डिंग से है जो किसी लोहे या लकड़ी के स्तम्भ से खड़ी की गयी या लगायी गयी हो।

(स) ''न्यास'' का तात्पर्य ऐसे साइन बोर्ड से जो किसी दीवार के सहारे टेलीफोन के खम्भे अथवा किसी दीवाल या वृक्ष के सहारे लगाया गया हो।

(द) "दीवार प्रचार" का तात्पर्य ऐसी विज्ञापन सामग्री से जो दीवार पर पेन्ट, चूना, खड़िया, गेरू, आदि से लेखन व चिन्हित या चित्रित किया गया हो।

(य) "अन्य प्रचार सामग्री" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी टीन या कपड़े के लिखित चित्रित एवं चिन्हित करके लगाया गया हो।

4–कोई भी व्यक्ति वाराणसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में उपविधि की धारा 10 के अन्तर्गत निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करके तथा विधिवत अनुमति प्राप्त करके विज्ञापन पट्ट या पास लगायेगा तथा दीवार प्रचार व अन्य प्रचार का कार्य करेगा, अन्यथा किसी भी दशा में नहीं।

5–इस उपविधियों के अन्तर्गत अपर मुख्य अधिकारी लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे या उनके द्वारा अधिकृति अधिकारी/कर्मचारी भी लाइसेंस जारी कर सकते हैं तथा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत ठेकेदार जो नीलामी के माध्यम से होगा, कर सकते हैं।

6–लाइसेंस अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की सूचना मिलने पर 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला पंचायत के समक्ष हो सकेगी और अध्यक्ष, जिला पंचायत का आदेश मानना दोनों पक्षों को बाध्यकारी होगा।

7–केवल उन्हीं विज्ञापन पट्टों न्यास व दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्रियों को प्रदर्शित/स्थापित एवं चित्रित करने की अनुमति दी जायेगी जो अश्लील न हों और किसी भी तरह समाज विरोधी न हो।

8–लाइसेंस की इच्छुक व्यक्ति/संस्था, फर्म अथवा कम्पनी का विज्ञापन सामग्रियों का विवरण, विज्ञापन पट्ट, न्यास, दीवार प्रचार तथा अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री की साइज व किस्म किस स्थान पर प्रदर्शित करना है, को भी इंगित करते हुए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा। लाइसेंस अधिकारी स्वयं या अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से स्थल का निरीक्षण करा सकता है। निरीक्षण में इस बात पर विशेष ध्यान रखा जायेगा कि उक्त विज्ञापन पट्ट, न्यास, दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री किसी ऐसे स्थान पर न हो जिससे यातायात में बाधा उपस्थित हो और वाहन चालकों को असुविधा के कारण दुर्घटना सम्भावित से तदुपरान्त निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् लाइसेंस जारी करेगा।

9–लाइसेंस अधिकारी किसी भी ऐसे विज्ञापन पट्ट, न्यास, दीवार या अन्य प्रचार सामग्री को हटवा सकता है, जो इन उपविधियों के अन्तर्गत उपयुक्त न पाया गया हो। लाइसेंस अधिकारी को यह अधिकार होगा कि ऐसे विज्ञापन पट्ट, दीवार या अन्य प्रचार सामग्री हटाने में जो व्यय आये वह सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था, फर्म अथवा कम्पनी से राजस्व की बकाये की भांति वसूल कर सकता है।

10–विज्ञापन पट्ट, न्यास, दीवार या अन्य प्रचार सामग्री की शुल्क की दरें निम्न प्रकार होंगी :

(1) गंगा सेतु पर होर्डिंग लगाने के लिये प्रति खम्भा	रु0 5,000.00
(2) ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों के लिये चौराहों एवं तिराहों पर प्रति होर्डिंग प्रति वर्ष	रु0 10,000.00
(3) ग्रामीण क्षेत्रों के राजमार्गों पर विभिन्न स्थानों पर प्रति होर्डिंग प्रति वर्ष	रु0 7,000.00
(4) जिले के ग्रामीण मार्गों के लिंक रोड पर प्रति होर्डिंग प्रति खम्भा	रु0 5,000.00
(5) दीवारों पर विज्ञापन प्रति दीवार	रु0 1,000.00

11–अस्थायी टूरिंग, टाकिज तथा सर्कस प्रदर्शनी के लिये विज्ञापन पट्ट, न्यास, दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री का उपनियम की धारा 10 में वर्णित दरों की आधी होगी, भले ही प्रदर्शनी की अवधि 5 माह से कम हो।

12–धारा 10 के अन्तर्गत दरों का परिवर्तन/परिवर्द्धन जिला पंचायत में प्रस्ताव द्वारा किया जायेगा।

13–केन्द्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु सरकारी विभागों द्वारा लगाये गये विज्ञापन पट्ट, न्यास, दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री इन उपविधियों के अन्तर्गत स्वतः लाइसेंस मुक्त होगा।

14–भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार के किन्हीं अधिनियमों, नियमावलियों अथवा शासनादेशों में विज्ञापन पट्ट, न्यास, दीवार प्रचार व अन्य प्रचार के सम्बन्ध में जारी निर्देश यथावत लागू माने जायेंगे।

15–भारत निर्वाचन आयोग अथवा राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नियन्त्रण एवं निर्देशन में सम्पन्न होने वाले चुनाव में सम्बन्धित प्रचार सामग्रियों एवं इस उपविधि के अन्तर्गत लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त समझे जायेंगे, शर्त यह है कि उपरोक्त निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हों।

16–इस उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी। आगामी 30 अप्रैल तक जैसा भी हो उपविधि की धारा 10 में निर्धारित शुल्क जमा करके वार्षिक नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि लाइसेंसधारी द्वारा 30 अप्रैल तक लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया गया तो प्रति तिमाही लाइसेंस शुल्क का 25 प्रतिशत अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देने पर ही नवीनीकरण किया जा सकेगा।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा संशोधित की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, जिला पंचायत, वाराणसी घोषणा करती है कि उपरोक्त में से कोई भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा जुर्माना के रूप में रु0 1,000.00 तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा दोष सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक ऐसे दिवस के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अर्थदण्ड जमा न होने पर तथा उल्लंघन करने पर 3 माह का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

सं0 3174/23-5 (2018-2021) स्था0नि0स0-II–जिला पंचायत, वाराणसी द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 142 व 143 के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग कर जनपद वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में (टाउन एरिया, विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक विकास क्षेत्र को छोड़कर) बनने वाले सभी प्रकार के भवनों (आवासीय भवन, शैक्षणिक भवन, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन एवं व्यवसायिक तथा व्यापारिक भवनों) के नक्शे एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी गयी है, जिसकी मैं, दीपक अग्रवाल, आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं जो कि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। इस उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधि स्वतः निरस्त हो जायेगी।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239(1) एवं धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, वाराणसी ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2(डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी हैं। आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242(2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर पुष्टि किये जाने के उपरान्त राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेंगी।

उपविधि

ये उविधियां जिला पंचायत, वाराणसी के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिये परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार, कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाइटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान या भवन एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार एवं मोबाइल टावर का स्थापना को नियंत्रित एवं निवियमित करने की उपविधि कहलायेगी।

परिभाषायें

1–''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2–''ग्राम्य क्षेत्र'' से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, छावनी तथा नगर निगम तथा क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुये जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो, जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के बाहर ही यह उपविधि प्रभावी होगी और समय-समय पर जब भी विकास प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र की सीमा बढ़ाया जायेगा, जिला पंचायत की यह उपविधि उक्त क्षेत्र के बाहर ही प्रभावी होगी।

3–''विनियमन'' का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4–''मानचित्र'' से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Ellegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5–''निर्माण कार्य'' का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6–''भवन की ऊंचाई'' का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7–''छज्जा'' का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिस से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8–''ड्रेनेज'' का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित हैं।

9–''निर्मित भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10–''तल (Floor Level)'' का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11–''फ्लोर एरिया रेशियों (FAR)'' का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12–''भू-आच्छादन (Ground Coverage)'' का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13–''ग्रुप हाउसिंग'' का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14–''ले-आउट प्लान'' का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15–''प्राविधिक (Technical) व्यक्ति'' का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

अ–अभियन्ता-अभियन्ता, जिला पंचायत, वाराणसी।

ब–अवर अभियन्ता-इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य जिला पंचायत, वाराणसी में कार्यरत उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियन्ता, जिला पंचायत, वाराणसी द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिये निदेशित (Designated) किया गया हो।

16–''कार्य अधिकारी'' का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, वाराणसी से है।

17–''अधिभोग (Occupancy)'' का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–''स्वामी'' का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20–''सेटबैक'' का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथास्थित या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–''अपर मुख्य अधिकारी'' का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, वाराणसी से है।

22–''जिला पंचायत'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 (1) में संघटित जिला पंचायत, वाराणसी से है।

23–''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, वाराणसी से है।

24–बहु-मंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु-मंजिल कहलायेगा।

25–''मंजिल'' का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26–''भवन'' का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कारनर्स या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टैन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27–आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल हैं।

28–व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप, होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधायें जो माल, व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद की संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरिटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

30—''भवन गतिविधि/भवन निर्माण'' का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31—''पार्किंग स्थल'' का तात्पर्य ऐसे चहारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

32—उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क सूची में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक 3 वर्ष के अन्तराल पर जिला पंचायत द्वारा की जायेगी। जिस वित्तीय वर्ष में उपविधि लागू होगी, गणना हेतु वह पूर्ण वित्तीय वर्ष माना जायेगा। बढ़ोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी, उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जो कि ऐसे शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवाश्यक नहीं होगा।

1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी—

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी, परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोशन के लिये।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिये।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निमाण के लिये।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(व) मिट्टी खोदना या मिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे—

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, वाराणसी को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा :

1—स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा—

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा।
की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा
बिल्डिग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें, उनके नाम, समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल-खारिज, खतौनी आलेख इत्यादि।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा–

अ–प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा, विवरण सहित।

ब–नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

स–नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

य–भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र।

र–भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यावसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

ल–स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास, जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

व–नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

स–नक्शे पर भूखण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहु-मंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी–

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था, आपात सीढ़ी व निकासी, अग्नि सुरक्षा लिफ्ट, अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)।

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियां आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ–

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि–

अ–प्रस्तावित भवन–उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

ब–प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों।

स–प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकि अनुदेश (Technical Instructions)–

1–क–एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

ख–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊंचाई तक अनुमन्य होगी।

ग–लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

घ–बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊंचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊंचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

ङ–बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

च–राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code), 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊंचाई तक 6.0 मीटर

इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊंचाई के लिए ब्लाक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लाक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

छ– बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा। किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा तल की अधिकतम ऊंचाई 2.4 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है–

क–जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लाक, ड्राईवर रूम, विद्युत् उप केन्द्र आदि।

ख–मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

ग–ढके हुए पैदल पथ आदि।

3–क–आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

ख–छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

ग–ए0सी0 कमरे की ऊंचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

घ–रसोई घर की ऊंचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

ङ–संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

च–खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए।

छ–तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊंचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4–क–पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

ख–30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

ग–भूकम्परोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6–बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम–

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)–

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे :

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊंचाई जनपद वाराणसी में (मीटर)
1	2	3	4	5
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30

1	2	3	4	5
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18
4	व्यावसायिक भवन–			
	(i) सुविधा (Convenient) शापिंग केन्द्र, शापिंग माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30
	(ii) बैंक, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24
	(iii) वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18
	(iv) दुकानें एवं मार्केट	60	1.50	15
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन–			
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	24
	(ii) हायर सेकेंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेन्टर आदि	50	1.50	24
	(iii) हास्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन–	50	1.20	15
	(i) सामुदायिक केन्द्र, क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथि गृह, हॉस्टल	40	2.50	15
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10
7	कार्यालय भवन–			
	सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30
8	क्रीड़ा एवं मनोरंजन काम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15
9	नर्सरी	10	0.50	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15
11	फार्म हाउस	10	0.15	10
12	डेयरी फार्म	10	0.15	10
13	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6

(छ) सेट बैक (Set back)

क्रमांक	भू-खण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साईड (Side) मीटर	पीछे (Reer) मीटर	लैंड स्केपिंग (Land Scaping)	खुला स्थान प्रतिशत तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.00	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25

1	2	3	4	5	6	7
2	151–300	3.0	0.0	3.0	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
3	301–500	4.5	3.0	3.0	तदेव	25
4	501–2000	6.0	3.0	3.0	तदेव	25
5	2001–6000	7.5	4.5	6.0	तदेव	25
6	6001–12000	9.0	6.0	6.0	तदेव	25
7	12001–20000	12.0	7.5	7.5	तदेव	50
8	20001–40000	15.0	9.0	9.0	तदेव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदेव	50

(ज) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथि गृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिये
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(झ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस–

1–तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा–संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हास्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage way) होगा।

2–अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.20 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से0मी0, राईजर अधिकतम 19 से0मी0, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3–अग्नि निकास जीने तक पहुंच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

4–घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

5–उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6–उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (National Building Code), 2016 के अग्निशमन मानकों के अनुसार प्रावधान किया जायेगा, जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एण्ड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ञ) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी–

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7 +(0.305 m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8 +(0.305 m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ट) मोबाइल टावर्स की स्थापना–

क–मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

ख–जनरेटर केवल ''साइलेन्ट'' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लागए जायेंगे।

ग–यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3.0 मीटर ऊपर होना चाहिए।

घ–जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ङ–सेवा ऑपरेटर कम्पनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन स्वामी का होगा।

च–इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो विकिरण, वायब्रेशन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

छ–अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये जनपद वाराणसी में रु0 1,00,000.00 (एक लाख रुपये मात्र) प्रथम बार शुल्क के रूप में जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिये होगा तथा अप्रत्यर्पणीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।

ज–शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ठ) नक्शे स्वीकृति की दरें–

क–**आवासी भवन एवं शैक्षणिक भवन–**

जनपद वाराणसी में सभी तलों पर फर्श से ढ़के भाग पर रुपये 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

ख–**(व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन)–**

जनपद वाराणसी में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 100.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

ग–(i) **भूमि की प्लाटिंग**–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना है।

(ii) **भूमि विकास**–भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(iii) **भूमि का उपभोग**–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना, जैसे निर्माण सामग्री, कन्टेनर, ईंधन, आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(iv) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग-(i) से (iv) तक, जनपद वाराणसी में यह दर रु0 20.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

घ–पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

ङ–स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होगी।

च–बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

छ–यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

ज–उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत के नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

झ–जनपद वाराणसी में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु0 20.00 प्रति वर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होगी।

ञ–जनपद वाराणसी में बाउण्ड्रीवाल स्वीकृति की दर रु0 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

नोट–(शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)।

(ड) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया–

1–स्वामी द्वारा आवदेन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अपर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यावसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना का नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा।

8–अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय, जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9–जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकि प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10–अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकि दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकि आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।

12–आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के अनुसार जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14–यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद–उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण, अध्यक्ष, जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका यह आदेश उभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(ढ) सामान्य अनुदेश (General Instruction)–

1–भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊंचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2–भूखण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये, तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

4–निकटतम हवाई अड्डा, चाहे विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 05 किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6–उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा, जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(ण) अनुज्ञा की शर्तें–

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।

क–अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह अभियन्ता, जिला पंचायत, वाराणसी की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे या यथावत स्वीकार कर दे।

ख–पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाइन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

ग–कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, वाराणसी निर्देश देती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपनियम का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता की दोष सिद्ध होने पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो रु0 50.00 (पचास रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

दीपक अग्रवाल,
आयुक्त,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

पी0एस0यू0पी0–26 हिन्दी गजट–भाग 3–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 ई० (आश्विन 4, 1942 शक संवत्)

भाग 4

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

19 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 परिषद्-9/264–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 1343/पन्द्रह-7-2020-1(23)/2017 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-चौदह के विनियम-5(ग) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति अधिनियम की धारा-16(2) के अन्तर्गत प्रदान कर दी गयी है :

विनियम-5 (ग)

वर्तमान विनियम		संशोधित विनियम
विनियम-5 (ग)		**विनियम-5 (ग)**
(1)	एक अनिवार्य विषय : हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी	**अनिवार्य विषय :**
(2)	बहीखाता तथा लेखा शास्त्र	1–सामान्य हिन्दी
(3)	व्यापारिक संगठन एवं पत्र-व्यवहार	2–व्यवसाय अध्ययन
		3–लेखाशास्त्र
(4–5)	निम्नलिखित में से कोई दो विषय–	ऐच्छिक विषय निम्नलिखित में से कोई दो विषय लेने होंगे–
	(एक) अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल	1–अर्थशास्त्र
	(दो) अधिकोषण तत्व	2–अंग्रेजी
	(तीन) औद्योगिक संगठन	3–गणित
	(चार) गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी	4–कम्प्यूटर

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(पाँच) कम्प्यूटर (छः) बीमा सिद्धान्त एवं व्यवहार (सात) मानविकी वर्ग के विषयों में से कोई एक विषय। **टीप–** (1) क्रम एक अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल लेने वाले छात्र मानविकी वर्ग से अर्थशास्त्र विषय नहीं ले सकेंगे। (2) क्रम-5 कम्प्यूटर विषय लेने वाले छात्र मानविकी वर्ग से कम्प्यूटर विषय नहीं ले सकेगा।	

दिव्यकान्त शुक्ल,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–26 हिन्दी गजट–भाग 4–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–28 मा0शि0प0–25-09-2020–1,000 प्रतियां (मोनो/डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 ई० (आश्विन 4, 1942 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 27 जुलाई, 2020 ई0 / 5 श्रावण, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/4/2017—**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 4-सहारनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 4-सहारनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 15 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 4-सहानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नौशाद अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री नौशाद को दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/उ0प्र0-वि0स0/4/2017 जारी किया गया था :

(1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।

(2) शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ दाखिल नहीं की गई।

(3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(4) निर्वाचन के लिये अलग से बैंक अकाउन्ट खोला नहीं गया है।

(5) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गये हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री नौशाद को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुये अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर जिला द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री नौशाद को दिनांक 29 जुलाई, 2019 को उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर ने दिनांक 04 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री नौशाद द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री नौशाद को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/4/2017, दिनांक 22 नवम्बर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर के माध्यम से उन्हें दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 27 फरवरी, 2020 तथा दिनांक 02 जुलाई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नौशाद द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुये न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिये भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नौशाद विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'';

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री नौशाद, निवासी ग्राम कुतुबपुर कुसानी, पोस्ट तिवाया, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, जो

उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 4-सहारनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* *27th July*, 2020 / *Shravana* 5,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/4/2017–WHEREAS, the General Election for 4-Saharanpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 04 th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 4-Saharanpur Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 15th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Saharanpur District, Uttar Pradesh, Shri Naushad, a contesting candidate of Jan Adhikar Party from 4-Saharanpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/4/2017, dated 11th September, 2017 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Naushad, for the following defects in accounts of his election expenses :–

(i) Election expenditure register comprising of day to day account register, cash register, bank register, abstract statement has not been lodged.

(ii) Duly sworn in Affidavit has not been submitted by candidate.

(iii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(iv) Separate Bank Account not opened for election.

(v) All Expenditure (except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Naushad was directed to submit his representation in writing to

the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Saharanpur within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Saharanpur, the said notice was served to Shri Naushad, on 29th July, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Saharanpur, has submitted in his supplementary report, dated 4th November, 2019 that Shri Naushad, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/4/2017, dated 22nd November, 2019, which was served to him on 4th December, 2019 through the District Election Officer, Saharanpur; and

WHEREAS, as per the report, dated 27th February, 2020 and 02nd July, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Naushad has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Naushad has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Naushad, Resident of Village-Kutubpur Kusani, Post-Tiwaya, District Saharanpur, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 4-Saharanpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 23 जुलाई, 2020 ई0 / 1 श्रावण, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/256/2017—**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 256-फूलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 256-फूलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 256-फूलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अशोक कुमार दुबे अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार दुबे को दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/उ0प्र0-वि0स0/256/भा0नि0आ0/नोटिस/टेर0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया था :

(1) समस्त अपेक्षित बिल वाउचर्स प्रस्तुत नहीं किये गये हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री अशोक कुमार दुबे को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुये अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, अभ्यर्थी के उनके नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर अनुपस्थित होने की स्थिति में उक्त नोटिस को दिनांक 20 अक्टूबर, 2019 को स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में उक्त पते के दरवाजे पर चिपकाया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 तथा 22 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री अशोक कुमार दुबे द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री अशोक कुमार दुबे को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/256/भा0नि0आ0/पत्र/टेर0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 26 फरवरी, 2020 जारी किया गया, जो दिये गये पते पर दीवार पर दिनांक 25 जून, 2020 को जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज के माध्यम से चिपकाया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 17 जुलाई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अशोक कुमार दुबे द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुये न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिये भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अशोक कुमार दुबे विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा'';

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री अशोक कुमार दुबे, निवासी 323/10, अलोपीबाग, तहसील सदर, इलाहाबाद (वर्तमान में प्रयागराज), उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 256–फूलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* *23*rd *July*, 2020 / *Shravana* 1th, 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/256/2017–WHEREAS, the General Election for 256-Phulpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 04th January, 2017 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 256-Phulpur Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Prayagraj District, Uttar Pradesh, Shri Ashok Kumar Dubey, a contesting candidate of Pragatisheel Manav Samaj Party from 256-Phulpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/256/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 16th September, 2019 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ashok Kumar Dubey, for the following defects in accounts of his election expenses :–

(i) All the requisite bill vouchers have not been presented; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Ashok Kumar Dubey was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Prayagraj within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Prayagraj, due to absence of candidate at the address provided by him in nomination papers, the notice was pasted on the gate of the address on 20th October, 2019 in the presence of local residents; and

WHEREAS, the District Election Officer, Prayagraj has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 and 22nd February, 2020 that Shri Ashok Kumar Dubey, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/256/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 26th February, 2020, which was pasted on the gate of the address on 25th June, 2020 through the District Election Officer, Prayagraj; and

WHEREAS, as per the report, dated 17th July, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Ashok Kumar Dubey has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Ashok Kumar Dubey has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ashok Kumar Dubey, Resident of 323/10, Alopibagh, Tehsil-Sadar, Allahabad (now Prayagraj), Uttar Pradesh and a contesting candidate from 256-Phulpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0—26 हिन्दी गजट—भाग 7-ख—2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0—11 निर्वाचन—24-09-2020—25 प्रतियां—(डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 ई० (आश्विन 4, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, गौरीगंज, जनपद अमेठी

01 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 371/न0पा0प0गौरी0/2020-21–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद्, गौरीगंज, जनपद अमेठी ने अपनी सीमा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 408/9-10-63ए/95-टी0सी0, दिनांक 22 फरवरी, 2010 के अनुपालन में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके समस्त प्रकार के आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों एवं भूमि/भू-खण्ड पर स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत सम्पत्ति कर निर्धारण एवं नामान्तरण उपविधि प्रस्तावित करती है। उपनियमावली का विवरण निम्नलिखित है :

उपविधि

1–नाम–यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, गौरीगंज सम्पत्ति कर निर्धारण एवं नामान्तरण उपविधि, 2020 कहलायेगी, जो नगरपालिका परिषद् की सीमा के अन्दर राजकीय गजट में प्रकाशित तिथि से लागू होगी। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति इस उपनियमावली के प्रकाशन की तिथि से ही प्रकाशित उपनियमावली के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न कर एवं शुल्क का निर्धारण कराकर उसे जमा कर सकता है।

2–अर्थ–स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत भवन/भूमि स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप कर इस उपविधि के खण्ड 'ख' में उल्लिखित दरों के आधार पर आंगणन कर भवन/भूमि पर सम्पत्ति कर निर्धारण कर सकेगी।

3–परिभाषाएं–इस नियमावली के विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर–

(1) ''नगरपालिका क्षेत्र'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, गौरीगंज की सीमा के अन्तर्गत आने वाले उसके अधिसूचित क्षेत्र से है।

(2) ''नगरपालिका परिषद्, गौरीगंज'' से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-घ के खण्ड के उपखण्ड 'क' के अधीन व उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन गठित नगरपालिका से है।

(3) ''अध्यक्ष नगरपालिका'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, गौरीगंज की जनता द्वारा चुना गया अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

(4) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, गौरीगंज में इन पद पर नियुक्त/कार्यरत अधिकारी से है।

(5) ''कर समाहर्ता या राजस्व लिपिक'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, गौरीगंज में इन पदों पर कार्यरत कर समाहर्ता अधिकारी से है।

(6) ''भवन/भूमि'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, गौरीगंज की सीमान्तर्गत स्थित भवन/भूमि से है।

(7) ''स्वकर निर्धारण प्रणाली'' से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 408/9-10-63ए/95-टी0सी0, दिनांक 22 फरवरी, 2010 एवं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 135/9-9-11-190द्वि0रा0वि0आ0/04, दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त निकायों में लागू किया गया है एवं आदेश संख्या 344/79-वि-1-11-1'क' 15-2011, लखनऊ दिनांक 11 मार्च, 2011 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(8) ''आवासीय भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग उसके स्वामी/अध्यासी द्वारा निवास के रूप में किया जा रहा है।

(9) ''व्यवसायिक भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में किया जा रहा है

(10) ''मिश्रित भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग आवासीय के साथ-साथ व्यवसायिक गतिविधियों के रुप में भी किया जा रहा है।

(11) ''पक्का भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है जिसका छत आर0सी0सी0 पद्धति से निर्मित हो तथा आधुनिक भवन निर्माण साम्रगी का प्रयोग किया गया है।

(12) ''अन्य पक्का भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है जिसकी छत कड़ी पटिया से निर्मित हो।

(13) ''कच्चा भवन'' से तात्पर्य उस भवन से है जिसकी छत अस्थाई साधनों यथा छप्पर, लोहा/सीमेन्ट की चादर आदि से निर्मित है।

(14) ''मासिक किराया दर'' से तात्पर्य इस उपविधि में भवनों/भूमि हेतु कारपेट आच्छादित क्षेत्रफल के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारण प्रति वर्ग फुट किराये से है।

(15) ''वार्षिक मूल्य'' से तात्पर्य पालिका अधिनियम की धारा 140 में उल्लिखित वार्षिक मूल्य से है।

(16) ''कारपेट एरिया'' से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जैसे कि इस प्रयोजन के लिए दिनांक 11 मार्च, 2011 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया है।

(17) ''आच्छादित क्षेत्र'' का तात्पर्य नींव क्षेत्र पर जिस पर भवन का सनिर्माण किया जाता है, प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्र है।

(18) ''मोहल्ले की श्रेणी'' से तात्पर्य, मौहल्ले में विकास की स्थिति, भवनों की स्थिति, नाली, सड़क, स्थानीय लोगों के रहन-सहन एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजनों के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अधार पर अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत की गयी, से है।

(19) ''मार्ग की चौड़ाई'' से तात्पर्य सार्वजनिक मार्ग के दानों ओर स्थित सरकारी नाला/नाली के मध्य की दूरी से है।

4–कारपेट क्षेत्रफल की गणना विधि–प्रत्येक तल के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी–

(1) **कक्ष**–आंतरिक आयाम की पूर्ण माप 'वर्ग फुट में'

(2) **आच्छादित बरामदा**–आंतरिक आयाम की पूर्ण माप 'वर्ग फुट में'

(3) **बाल्कनी, गलियारा, रसोईघर और भण्डार गृह**–आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप 'वर्ग फुट में'

(4) **गैराज**–आंतरिक आयाम की 25 प्रतिशत माप 'वर्ग फुट में'

(5) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–उत्तर प्रदेश शहरी भवन 'किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन' अधिनियम, 1972 के प्रयोजनो के लिए किसी भवन का मानक किराया, अनुबंधित किराया या युक्ति-युक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

5–वार्षिक मूल्य की गणना विधि–

(1) आवासीय भवन/भूमि का वार्षिक मूल्य 12× क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर × भवन के आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।

(2) व्यवसायिक भवन का वार्षिक मूल्य 12×3× क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर × भवन का कारपेट एरिया।

स्पष्टीकरण–मिश्रित भवनों के लिए वार्षिक मूल्य, आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों के वार्षिक मूल्य की अलग-अलग गणना के योग के बराबर होगा।

6–वार्षिक मूल्य के आधार पर आंगणिक कर से सम्बन्धित आधार भूत तथ्य–

(1) मासिक किराया प्रति वर्ग फुट की दर से देय होगा। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार भवन एवं भूमि की स्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर के आधार पर नियत किया जाएगा। 2 वर्षों के उपरान्त प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दरों का परिवर्तन किया जा सकेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी द्वारा नगरपालिका क्षेत्र या उसके भाग में उपविधि में विहित प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर किराया दर का निर्धारण एवं कर निर्धारण किया जाएगा।

(3) वार्षिक कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक भवन एवं भूमि स्वामी या अध्यासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में नगरपालिका द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भरकर नगरपालिका परिषद्, गौरीगंज के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। यदि भवन नवनिर्मित है तो निर्माण पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर पूर्ण विवरण-पत्र/प्रारूप नगरपालिका कार्यालय में जमा करे। अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रारूप में दर्ज सूचनाओं की शुद्धता का परिक्षण कराने हेतु प्राधिकृत कार्मिक/कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक/कर निरीक्षक से भवन की जांच कराई जा सकती है।

(4) बिना समुचित कारण के उपधारा '4' में विनिर्दिष्ट विवरणी की प्रस्तुत करने में विफल रहने या भवन से सम्बन्धित किसी प्रकार का तथ्त छिपाने पर, कोई व्यक्ति रु0 1,000.00 से 10,000.00 तक शास्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) उपधारा '5' एवं अधिनियम में विनिर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन एवं अधिनियम की धारा 140, 141, 142, 143, 144, व 149 का प्रवर्तन अधिशासी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(6) सम्पत्ति कर की स्वकर प्रणाली लागू करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी के सम्बन्ध में सर्वे कराया जायेगा। यदि किसी एक भवन में आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों गतिविधियां पायी जाती हैं तो भवन आवासीय एवं व्यवसायिक माना जायेगा। यदि भवन बहु मंजिला है जिसमें कुछ तल पर व्यवसायिक गतिविधियां एवं उसके अन्य शेष तल में आवासीय के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो तो इसमें कर का निर्धारण पृथक्-पृथक् किया जायेगा। जिन भवनों/भूमियों के सम्बन्ध में स्वमित्व सम्बन्धी विवाद है अथवा सर्वे में जिनके स्वामियों का पता नहीं चलता है तो सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व ऐसे भवनों में रहने वाले किरायेदार/अध्यासी का ही होगा।

7–सम्पत्ति कर एवं अन्य कर की दर–

भवन एवं भूमि के सापेक्ष आंगणिक वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत संपत्ति कर निर्धारित होगा। इसके अतिरिक्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 एवं समय-समय पर शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार भवनों पर जल कर भी अधिरोपित किया जायेगा। लेकिन जब तक जलकर निर्धारित नहीं किया जाता है तब तक निकाय में जल मूल्य प्रभावी होगा। जिसकी दर निम्नलिखित प्रकार से होगी–

आवासीय भवनों पर रु0 50.00, तथा वाणिज्यिक भवनों पर रु0 100.00 प्रतिमाह की दर से जल मूल्य देय होगा। शासनादेशों में दिये गये प्रविधानों के अनुसार जल मूल्य की दरों में वृद्धि/परिवर्तन किया जा सकता है।

8–कर निर्धारण सूची का अधिप्रमाणन और उसकी अभिरक्षा–

1–अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा।

2–इस प्रकार अधिप्रमाणित प्रत्येक सूची को नगरपालिका के कार्यालय में जमा किया जायेगा।

9–सम्पत्ति कर जमा करने के सम्बन्ध में प्रावधान–

1–भवन एवं भूमि के स्वामियों द्वारा 30 सितम्बर तक चालू मांग का सम्पत्ति कर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगा।

2–भवन एवं भूमि के स्वामियों द्वारा 30 नवंबर तक चालू मांग का सम्पत्ति कर जमा करने पर 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

3–भवन एवं भूमि के स्वामियों द्वारा 30 नवंबर के बाद 31 मार्च तक चालू मांग का सम्पत्ति कर जमा करने पर न तो कोई छूट दी जायेगी और न ही ब्याज आरोपित किया जायेगा। परन्तु 31 मार्च के पश्चात् सम्पत्ति कर जमा करने पर अर्थ दण्ड के रूप में 2 प्रतिशत मासिक चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। ब्याज की गणना करों को जमा करने की तिथि से संबंधित माह की अंतिम तिथि तक की जायेगी ।

4–करों से संबंधित धनराशि सीधे निकाय के बैंक खाते में जमा करने के संबंध में परिस्थितिजन्य निर्णय लेने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

5–नगरपालिका की अन्य उपविधियों/अधिनियम/शासनादेशों आदि का उल्लंघन करने पर आरोपित शास्तियों को उल्लंघनकर्ता के सम्पत्ति कर खाते में अवशेष देनदारी के रुप में दर्ज किया जा सकता है एवं अवशेष करों/शास्तियों/देयताओं के संबंध में अधिशासी अधिकारी को यह विश्वास होने पर कि पर्याप्त समय के उपरान्त भी करदाता द्वारा देनदारियां नहीं चुकायी गयी हैं, समस्त देनदारियों को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूले जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

10–कर मुक्ति प्रावधान–

भवन एवं भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्ति कर का उद्ग्रहण, नगरपालिका सीमा में स्थित निम्नलिखित को छोड़कर, समस्त भवनों और भूमि के संबंध में किया जायेगा–

1–मृतकों के निस्तारण से संबंधित प्रयोजनों के लिए अनन्य रुप से प्रयुक्त भवन या भूमि।

2–भवनों और भूमि या उसके भाग, जिसका अधिभाग और उपयोग अनन्य रुप से सार्वजनिक पूजा या धर्मार्थ प्रयोजनों/अनुसंधान सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं के मैदान, कृषि क्षेत्र, उद्यान, और खेल के मैदान या क्रीड़ा स्टेडियम के लिये किया जाता हो।

3–राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी भवन, जिनका उपयोग अनन्य रूप से विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है। शैक्षणिक गतिविधियों से इतर परिसर कर मुक्ति दायरे से बाहर होंगे।

4–ऐसे भवन, जिनका उपयोग केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय के लिए होता हो कर मुक्ति के दायरे में आयेंगें। परन्तु वाणिज्यिक बैंक/वाणिज्यिक भवन कार्यालय कर के परिधि में होंगे।

5–प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन स्मारक, जो किसी ऐसे स्मारक के संबंध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन हो।

6–केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित चिकित्सालय कर के दायरे से बाहर होंगे।

11–सम्पत्ति के हस्तानांतरण सम्बन्धी नियम/सम्पत्ति रजिस्टर में नाम परिवर्तन सम्बन्धी नियम–

1–यदि किसी भवन अथवा भूमि जिस पर कर आरोपित है, स्वामित्व हस्तानांतरित होता है, तो स्वत्व पाने वाला व्यक्ति या संस्था, ऐसे हस्तानांतरण के 3 माह के अंदर उसकी सूचना, बैनामे की प्रमाणित छायाप्रति व अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ क्रय धनराशि या वर्तमान प्रचलित सर्किल दर के अनुसार संपत्ति की कीमत 'जो अधिक हो' का एक प्रतिशत की धनराशि नामान्तरण शुल्क के रूप में नगरपालिका में जमा करते हुए अधिशासी अधिकारी को आवेदन प्रेषित करना होगा। अन्यथा की स्थिति में रु0 250.00 प्रतिवर्ष की दर से विलम्ब शुक्ल भी देय होगा। नामान्तरण शुल्क जमा करने का दायित्व स्वत्व पाने वाला व्यक्ति या संस्था का होगा।

2–यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस/उत्तराधिकारी द्वारा मृत्यु की दिनांक से 3 माह के अंदर इसकी लिखित सूचना नामान्तरण शुल्क रु0 1000.00 के साथ नगरपालिका में जमा करते हुए अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना होगा। अन्यथा रु0 250.00 प्रतिवर्ष की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

3–नामान्तरण के आवेदन का निस्तारण अधिकतम 3 माह के अन्दर कर दिया जायेगा।

12–शास्ति एवं अर्थदण्ड–

इस उपविधि के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने अथवा भवन से संबंधित किसी भी प्रकार की तथ्य/जानकारी छिपाने पर भवन स्वामी/भूमि स्वामी पर रु0 1000.00 से 10,000.00 तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता।

13–उपसंहार–

इस उपविधि के प्रचलन में आते ही नगरपालिका परिषद्, गौरीगंज की पूर्व में प्रचलित गृहकर उपविधि/सम्पत्ति कर उपविधि स्वतः ही खण्डित मानी जायेगी। यद्यपि कि पूर्व में प्रचलित उपविधि के अंतर्गत सभी अवशेष देयताओं की वसूली की जायेगी।

1–नगर में स्थित आवासीय भवनों/भूमि हेतु मार्ग की चौड़ाई के आधार पर स्वकर निर्धारण हेतु प्रस्तावित मासिक किराया दर 'रु0 प्रति वर्ग फुट में'।

1	सड़क की चौ0 0-07 मी0 पर अवस्थित			सड़क की चौ0 07-12 मी0 पर अवस्थित			सड़क की चौ0 12 मी0 से अधिक पर अवस्थित		
2	आर0सी0सी0/ आर0बी0सी0/ पक्का	अर्ध पक्क	कच्चा	आर0सी0सी0/ आर0बी0सी0/ पक्का	अर्ध पक्का	कच्चा	आर0सी0सी0/ आर0बी0सी0/ पक्का	अर्ध पक्का	कच्चा
	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
3	1.00	0.75	0.50	1.10	0.80	0.55	1.20	0.85	0.60

नोट–उपरोक्त दरों का प्रकाशन पृथक से भी किया जा सकेगा।

राजपती,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, गौरीगंज,
अमेठी।

कार्यालय, नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़

08 मार्च, 2018 ई0

सं0 200/न0पं0 अन्तू प्रतापगढ़-2017-18–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़ द्वारा नगर एवं नागरिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने सीमान्तर्गत ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 तैयार किया गया है। जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगर वासियों व प्रभावित व्यक्ति/समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियों से पंचायत को अवगत करा सकें।

समस्त नगर वासियों व प्रभावित व्यक्तियों/समूह से आपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 30 दिन के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगर पंचायत कार्यालय में प्राप्त करायें जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके। समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, के अधीन दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''अमर उजाला'' में दिनांक 10 मार्च, 2018 में प्रकाशित कर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किये गये थे। परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये। मा0 बोर्ड के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुए स्वीकृति प्रदान किया गया है।

अतएव विनियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के आपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है जो प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019''

1–**संक्षिप्त नाम**–यह उपविधि नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़ लाइसेंसिंग शुल्क उपविधि, 2017 कहलायेगी।

2–**परिभाषा**–जब तक विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 से है।

(ख) ''नगर'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ से है।

(ग) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू के अध्यक्ष से है।

(घ) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) ''शुल्क'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ सीमान्तर्गत दुकानों रोजगारों/मशीन द्वारा चलने वाले रोजगारों/दुकानों पर लाइसेंस फीस/शुल्क से है।

3–इस उपविधि द्वारा नगर पंचायत, अन्तू सीमान्तर्गत व्यवसाय, दुकानों, मशीनों से चलने वाले रोजगारों, परिवहन स्वास्थ्य सेवाओं, होटलों, रेस्टोरेंट, पेट्रोलियम, ईंट भठ्ठा आदि पर लाइसेंस फीस/शुल्क कर रोपित किया जाता है।

4–किसी भी लाइसेंस शुल्क जमा करने की तिथि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिये होगा।

5–इस उपविधि के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो इसके अन्तर्गत आते हैं बिना शुल्क जमा किये दुकान नहीं चला सकेंगे तथा पूर्व में चल रही दुकानों/व्यवसायों/मशीनरी, भट्ठा आदि को भी निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

6–कोई भी व्यक्ति इस उपविधि के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क को जमा करने के उपरान्त ही दुकान/व्यवसाय चला सकेगा।

7–केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य कोई विधि विहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाइसेंस से भिन्न होगा किन्तु प्रत्येक व्यवसायी/दुकानदारों व अन्य के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/बाटों/मापों का ही प्रयोग करेगा।

8–ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा और न ही किसी ऐसे सहायक/नौकर को रखेगा।

9–यह उपविधि नगर पंचायत की सीमावृद्धि किये जाने के पश्चात् बढ़ी हुई परिधि में भी आने वाले दुकानों व व्यवसायों पर भी लागू होंगी।

10–यह उपविधि मशीनों में सभी मिलें और मशीने जो आटा पीसने, धान कूटने, खराद करने, रूई धुनने, तक्का बनाने, तेल पेरने, लकड़ी चीरने, छेद करने, अन्य सामान बनाने की ऐसी मशीनें जो बिजली, तेल, पेट्रोलियम या किसी कलपुर्जे से चलाया जाये तथा जानवरों की मदद से चलाया जाये शामिल है, किन्तु हाथ से चालाई जाने वाली मशीनें इसमे शामिल नहीं होंगे।

11–कोई भी व्यक्ति उक्त कार्य के लिए इमारत नहीं बनायेगा या बनी हुई इमारत में परिवर्तन नहीं करेगा तथा उसको फैक्ट्री के उपयोग योग्य नहीं बनायेगा जब तक निम्न शर्तों के अधीन लाइसेंस प्राप्त न कर ले।

12–जिस इमारत से मिल बनाई जाये वह पक्की या मजबूत बनी हो कि मशीन चलने की ताकत से पैदा होने वाली धमक/घरघराहट सहन कर सके। ऐसी इमारत किसी निवास स्थान में पैदा होने वाली इमारत से जुडी न हो, किसी घनी आबादी वाले इलाके में इस प्रकार की कोई मिल नहीं बनाई जायेगी अथवा जो मशीन बिजली भाप, तेल या पेट्रोलियम इन्जन से चलती हो नहीं बनाई जायेगी।

13–ऐसी मशनी सार्वजनिक शौचालय से 30 मीटर के अन्दर या किसी ऐसे स्थान जहां कोई भी काम किया जाता हो जिसकी धूल या जहरीली या खतरनाक गैसे उठती हो चलित मोटर अन्दर नहीं होगी जब तक कि नगर पंचायत के लाइसेंस अधिकारी के आदेशानुसार ऐसा प्रबन्ध न कर दिया हो जिसके द्वारा मशीन पैदावार मिश्रित होने से बचाया जा सके।

14–मिल अथवा स्टोर रूम से 06 मीटर की दूरी के अन्दर कोई शौचालय नहीं होना चाहिये।

15–इमारत का फर्श सीमेन्टेड होना चाहिए तथा दीवारों पर कम से कम दो मीटर तक सीमेन्ट का प्लास्टर होना आवश्यक होगा।

16–एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा हो सात वर्गमीटर स्थान तथा 8-1 घनमीटर तक जगह कार्य करने के लिए होनी चाहिये।

17–हर 13 वर्गमीटर फासले के लिए 0.9 वर्गमीटर की खिड़की होनी चाहिए जहां चिमनी आवश्यक हो उसकी ऊंचाई लाइसेंस अधिकारी निश्चित करेंगे, परन्तु वह हर हालात में उस इमारत से जो की तीस मीटर के अन्दर हो 4.5 मीटर होनी चाहिये।

18–ऐसी इमारत लाइसेंस अधिकारी के अनुसार साफ रोशनी हवादार नालेदार और मरम्मत के हालात में रखी जाये।

19–कोई मिल आपना अनाज खुद पीसता हो उसके पीसने के पहले अनाज के कंकड़, कूड़ा, गंदगी आदि साफ करके पीसा जाये।

20–कोई मिल/मशीन प्रयोग में न लाई जाये जिसके लाइसेंस में न लिखा हो।

21–चक्की का पाट सख्त पत्थर से बना हो तथा चक्की के पाट के चारो तरफ खुली जगह होना चाहिये जिससे आसानी से सफाई किया जा सके।

22–ग्राहको को खड़ा होने हेतु एक गैलरी बनाई जाये जहां पर वह अपने माल को पीसते, पेरते व घूमते हुए देख सके।

23–विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कोई मशीन 25 हार्सपावर इंजन से अधिक शक्ति चलने वाली नहीं लगाई जायेगी।

24–जो मशीन/मिल चल रही है/मौजूद है उसको जारी रखने की आज्ञा होगी किन्तु शर्त यह है कि उनके लाइसेंस अधिकारी के निर्देशानुसार परिवर्तन व प्रबन्ध कर दिया जाय।

25–अध्यक्ष, लाइसेंस अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत नगर पंचायत के किसी भी दूसरे अधिकारी को निरीक्षण करने एवं नमूना लेने का अधिकार होगा।

26–संक्रमित व्यक्ति को मिल में नौकर नहीं रखा जा सकेगा।

27–कोई भी भठ्ठा सरकार द्वारा निर्धारित एक किमी0 की दूरी पर ही चलाया जा सकेगा।

28–कोई भी भठ्ठा बाग से निर्धारित एक किमी0 की दूरी पर ही चलाया जा सकेगा।

29–भठ्ठे की चिमनिया प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुसार ही बनी होनी चाहिये।

30–इस उपविधि के अन्तर्गत जारी लाइसेंस 01 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए मान्य होंगी जो किसी भी अवस्था में अधिक समय के लिये नहीं दिया जायेगा।

31–लाइसेंस नवीनीकरण हेतु प्रत्येक प्रार्थना-पत्र 15 मार्च तक दिया जायेगा और लाइसेंस 15 अप्रैल तक जारी होगा।

32–लाइसेंस के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र में मिल/मशीन का सम्पूर्ण विवरण स्थान का विस्तृत पता दिया जाये साथ ही यह भी लिखा जायेगा कि किस मसाले की इमारत बनी या बनाई जायेगी।

33–इस उपविधि के प्रयोजनों के लिए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी लाइसेंस अधिकारी होगा व नगर पंचायत का वरिष्ठ अधिकारी उप लाइसेंस अधिकारी होगा।

34–क–लाइसेंस फीस/शुल्क निम्नानुसार ली जायेगी–

क्र0 सं0	मद का नाम	निर्धारित दरें	
1	2	3	
		रु0 से	रु0 तक
1	साबुन फैक्ट्री	1,500.00	3,000.00
2	ड्राई क्लीनर/कपड़ा धुलाई + प्रेस	1,000.00	2,500.00
3	धुलाई गृह लाण्ड्री	500.00	1,000.00
4	आइसक्रीम फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक सोडा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	2,500.00	3,000.00
5	गुदड़ गोदाम/कबाड़ की दुकान	1,200.00	2,000.00
6	कंकड़/सुर्खी की भट्ठी	5,000.00	7,500.00
7	चूना की दुकान	500.00	700.00
8	ईट भट्ठा	10,000.00	15,000.00

1	2	3	
		रु0 से	रु0 तक
9	डी0जे0 कम्पनी	3,000.00	5,000.00
10	लाइट एण्ड साउण्ड कम्पनी	3,000.00	5,000.00
11	लोहा एण्ड हार्डवेयर कम्पनी	2,500.00	10,000.00
12	पेठा बनाने की दुकान/कारखाना	1,000.00	2,000.00
13	चप्पल जूता का कारखाना	1,000.00	2,000.00
14	जूता चप्पल की दुकान	1,000.00	1,500.00
15	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, सरिया, ईंटा, बालू, गिटटी	3,500.00	7,500.00
16	थोक मोरंग मारबल टाइल्स सेनेटरी	5,000.00	10,000.00
17	फुटकर बिजली के समान के विक्रेता	1,500.00	5,000.00
18	स्टेशनरी विक्रेता	500.00	1,000.00
19	चाय नास्ता मिठाई की दुकान	1,500.00	3,000.00
20	गट्टा फैक्ट्री	1,200.00	2,000.00
21	खाल एवं बाल उतारने वाले	1,000.00	2,000.00
22	कैटरिंग	1,000.00	2,000.00
23	बेकरी भट्ठी	1,200.00	3,000.00
24	बेकरी पावर	2,000.00	7,000.00
25	हेयर कटिंग सैलून	500.00	2,000.00
26	ब्यूटी पार्लर	2,000.00	5,000.00
27	मोबाइल की दुकान	2,000.00	8,000.00
28	जनरल मर्चेन्ट फुटकर विक्रेता/किराना	1,000.00	5,000.00
29	फल की दुकान	500.00	1,000.00
30	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)	2,500.00	3,000.00
31	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी से अधिक)	4,000.00	5,000.00
32	जनरल मर्चेन्ट थोक बिक्रेता	2,000.00	5,000.00
33	कुकिंग गैस एजेन्सी	12,000.00	18,000.00
34	टेलरिंग निजी चलित	1,500.00	2,000.00
35	कपड़ा थोक बिक्रेता व्यापारी	1,000.00	5,000.00
36	फुटकर कपड़े की दुकान	1,000.00	2,500.00
37	कोयला थोक विक्रेता	5,000.00	7,000.00
38	फुटकर दवा की दुकान	2,000.00	3,000.00
39	दवा की दुकान थोक बिक्रेता	5,000.00	10,000.00
40	रेडीमेड गार्मेन्ट	2,000.00	5,000.00
41	पान की दुकान	500.00	1,000.00
42	टेण्ट हाउस	1,000.00	2,000.00
43	बर्तन की दुकान	500.00	1,000.00
44	भूसी चोकर की दुकान	500.00	1,000.00
45	ट्रांसफार्मर मरम्मत प्राइवेट बडी मोटर	5,000.00	10,000.00

1	2	3	
		रु0 से	रु0 तक
46	छोटी मोटर मशीनरी मरम्मत प्राइवेट	2,000.00	5,000.00
47	जनरेटर किराये पर चलाये जाने पर	1,000.00	2,000.00
48	सब्जी की दुकान	500.00	1,000.00
49	गल्ला, अनाज की दुकान थोक	5,000.00	10,000.00
50	गल्ला अनाज फुटकर विक्रेता	2,000.00	3,000.00
51	बकरा मांस की दुकान	600.00	1,000.00
52	मुर्गा मांस की दुकान	600.00	1,000.00
53	मछली मांस की दुकान	600.00	1,000.00
54	बार/वियर	6,000.00	—
55	आइस फैक्ट्री	100.00	—
56	देशी शराब (प्रति दुकान)	6,000.00	—
57	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	12,000.00	—
58	पशुबाधा (स्लॉटर हाउस)	10.00 प्रति पशु	—
59	फाइनेंस कम्पनी चिट फंड	6,000.00	—
60	फाउन्डिंग इंजिनियरिंग इंडस्ट्रियल	1,200.00	—
61	हड्डी खाल गोदाम	1,000.00	—
62	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00	—
63	इन्श्योरेंस कम्पनी प्रति शाखा	12,000.00	—
64	फर्नीचर की दुकान (शो रूम)	5,000.00	—
65	क्राकरी बिक्रेता	500.00	2,500.00
66	मसाले थेक विक्रेता	5,000.00	—
67	मसाले फूटकर विक्रेता	2,000.00	—
68	चूडी विक्रेता	100.00	500.00
69	ड्राई फ्रूट विक्रेता (थोक विक्रेता)	1,200.00	—
70	ड्राई फ्रूट विक्रेता फुटकर	600.00	—
71	न्यूज पेपर	500.00	—
72	किताबो की थोक दुकान	1,000.00	—
73	किताबो की फुटकर दुकान	500.00	—
74	चाट/बताशा की दुकान	250.00	1,000.00
75	प्लास्टिक ट्रेडर्स	600.00	1,200.00
76	प्लास्टिक फैक्ट्री	6,000.00	—
77	रेडियो/मकैनिक/टी0बी0 मरम्मत	1,000.00	—
78	टी0बी0 शाप/इलेक्ट्रिकल्स वस्तुयें	3,600.00	—
79	आडियों/बीडियों लाइब्रेरी	1,000.00	—
80	केबिल टी0बी0	1,200.00	—
81	आक्रीटक्ट कन्सलटेंट विधि चार्टेड एकाउन्टेट फास्ट एकाउन्टेन्ट	6,000.00	—
82	डेयरी फार्म	1,000.00	—

1	2	3	
		रु0 से	रु0 तक
83	भूसा थोक विक्रेता	1,000.00	—
84	भूसा फूटकर विक्रेता	500.00	—
85	फुटकर बिजली के सामान के विक्रेता	500.00	5,000.00
86	विज्ञापन एजेन्सी	12,000.00	—
87	फट्रिलाइजर शाप	1,200.00	—
	होटल/रेस्टोरेन्ट		
1	होटल लांजिग/गेस्ट हाउस 10 शैय्या	1,000.00	2,000.00
2	होटल लांजिग/गेस्ट हाउस 11 से 20 शैय्या	3,000.00	5,000.00
3	साधारण होटल/गेस्ट हाउस	2,000.00	2,500.00
4	एक सितारा होटल अथवा बिना सितारा 20 शैय्या से ऊपर तथा 30 शैय्या तक	6,000.00	7,000.00
5	31 से 40 शैय्या तक	7,000.00	8,000.00
6	41 से 50 शैय्या तक	8,000.00	9,000.00
7	50 शैय्या के ऊपर	9,000.00	10,000.00
8	तीन सितारा होटल	9,000.00	10,000.00
9	रेस्टोरेण्ट/ढाबा	1,000.00	2,000.00
10	5 सितारा होटल	12,000.00	15,000.00
	नसिंग होम		
1	नर्सिंग होम 20 बेड तक	2,000.00	5,000.00
2	नर्सिंग होम 20 बेड के ऊपर रु0 250.00 प्रति बेड	5,000.00	7,000.00
3	प्रसूति गृह 20 बेड तक	2,000.00	3,000.00
4	प्रसूति गृह 20 बेड के ऊपर	5,000.00	7,000.00
5	प्राइवेट अस्पताल	5,000.00	10,000.00
6	पैथोलॉजी सेन्टर	2,000.00	3,000.00
7	एक्स-रे क्लीनिक	2,000.00	3,000.00
8	डेण्टल क्लीनिक	2,000.00	3,000.00
9	प्राइवेट क्लीनिक छोटी डिस्पेंसरी	2,000.00	3,000.00
10	चॉदसी दवाखाना/युनानी/आयुर्वेदिक क्लीनिक	1,000.00	2,000.00
	पेट्रोलियम		
1	दुकान मिट्टी का तेल 100 गैलन तक	200.00	500.00
2	दुकान मिट्टी का तेल 300 गैलन तक	600.00	700.00
3	दुकान मिट्टी का तेल 500 गैलन या अधिक	1,000.00	1,500.00
4	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर	3,000.00	5,000.00
5	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक आयल कम्पनी	6,000.00	7,000.00
6	जनरेटर/डीजल इंजन की दुकान	1,500.00	5,000.00
7	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पाद/ब्रिकी	1,200.00	3,000.00

1	2	3	
		रु0 से	रु0 तक
	मिल/मशीनरी		
1	धान मिल	2,000.00	3,000.00
2	तेल मिल	1,000.00	2,000.00
3	दाल मिल	1,000.00	2,000.00
4	कोल्ड स्टोरेज	1,500.00	2,500.00
5	आइस फैक्ट्री	500.00	1,000.00
6	खराद मशीन	1,500.00	2,000.00
7	आटा मशीन/चक्की	300.00	500.00
8	स्पेलर	300.00	500.00
9	धान छोटी मशीन	200.00	300.00
10	रूई धुनाई मशीन	100.00	200.00
11	आइस कैण्डी	300.00	500.00
12	अन्य मशीन	200.00	300.00
	परिवहन		
1	ट्रांसपोर्ट (बिना वाहन एजेन्सी के)	3,600.00	4,000.00
2	ट्रांसपोर्ट (ऐजेन्सी वाहन सहित)	7,200.00	8,000.00
3	आटों रिक्शा (2 सीटर)	360.00	—
4	आटो रिक्शा (7 सीटर)	1,000.00	—
5	आटो रिक्शा (4 सीटर)	6,000.00	—
6	मिनी बस/कार छोटी	1,000.00	—
7	बस बड़ी/कार बड़ी	1,500.00	—
8	तांगा इक्का	250.00	—
9	रिक्शा किराये पर	100.00	—
10	रिक्शा निजि	150.00	—
11	ठेला/ठेली	100.00	—
12	हाथ ठेला	50.00	—
13	बैलगाड़ी, घोडा गाड़ी, भैसा गाड़ी	50.00	—
14	ट्राली रिक्शा	200.00	—
15	अन्य चार पहिया वाहन व्यवासयिक उपयोग हेतु	1,000.00	—
16	मोटर गैरेज मशीनरी वर्कशाप	1,500.00	3,000.00
17	स्कूटर/बाइक गैरेज/रिपेयरिंग वर्कशाप	1,000.00	1,500.00
18	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स/सर्विस)	5,000.00	10,000.00
19	स्कूटर बाइक एजेन्सी (2 पहिया/3 पहिया)	2,500.00	5,000.00
20	साइकिल की दुकान	500.00	1,000.00
21	साइकिल मरम्मत एवं सर्विस सेन्टर/रिपेयरिंग	200.00	500.00

ख–यदि किसी मशीन/दुकान पर एक से अधिक कार्य किये जाये तो मूल लाइसेंस फीस के अतिरिक्त प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग फीस/शुल्क लिया जायेगा।

35–डिस्पेन्सरी या मेडिकल सम्बन्धी कोई दुकान नर्सिंग होम आदि चलाने के लिए मान्यता प्राप्त डाक्टर की डिग्री तथा रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी डाक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा/दुकान चला सकेगा।

36–ब्यूटी पार्लर चलाने वाले को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मान्य ट्रेनिंग प्रमाण-पत्र दिखाना अवाश्यक होगा।

37–इस उपविधि में से किसी भी लाइसेंसधारी द्वारा किसी एक का उल्लंघन होने पर लाइसेंसिंग अधिकारी को लाइसेंस समाप्त करने या निलम्बित करने का अधिकार होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन उपविधियों में से किसी का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड रु0 1,000.00 (एक हजार रु0) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहा तो दोष सिद्ध होने पर अपराधी यदि अपराध जारी रखता है तो रु0 25.00 (पच्चीस रु0) प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड दिया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, अन्तू,
प्रतापगढ़।

कार्यालय, नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़

23 जनवरी, 2019 ई0

सं0 08/न0प0अन्तू प्रतापगढ़-2018-19–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़ द्वारा नगर एवं नागरिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने सीमान्तर्गत ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019'' तैयार किया गया है। जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगरवासियों व प्रभावित व्यक्ति/समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियों से पंचायत को अवगत करा सकें।

समस्त नगरवासियों व प्रभावित व्यक्तियों/समूह से आपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 30 दिन के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगर पंचायत कार्यालय में प्राप्त करायें जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके। समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, के अधीन दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''अमर उजाला'' में दिनांक 31 जनवरी, 2019 में प्रकाशित कर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किये गये थे। परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये। मा0 बोर्ड के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुए स्वीकृति प्रदान किया गया है।

अतएव, विनियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है जो प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019''

1–**संक्षिप्त नाम**–यह उपविधि नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़ दण्ड शुल्क उपविधि, 2019 कहलायेगी।

2–**परिभाषा**–जब तक विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 से है।

(ख) ''नगर'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ से है।

(ग) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू के अध्यक्ष से है।

(घ) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) ''शुल्क'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ सीमान्तर्गत दुकानों, रोजगारों/मशीन द्वारा चलने वाले रोजगारों/दुकानों पर लाइसेंस फीस/शुल्क से है।

3–इस उपविधि द्वारा नगर पंचायत, अन्तू, सीमान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर कूडा फेंकने/फैलाने, खुले में शौच जाने, सार्वजनिक मार्गों पर अवरोध उत्पन्न करना सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण करना आदि पर दण्ड/फीस शुल्क कर रोपित किया जाता है।

4–इस उपविधि के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अथवा दुकानदार जो इसके अन्तर्गत आते हैं यदि सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने/फैलाने, खुले में शौच जाने, सार्वजनिक मार्गों पर अवरोध उत्पन्न करना, सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण करना आदि के दोषी पाये जाने पर दण्ड शुल्क जमा किया जायेगा।

5–केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य कोई विधि विहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित कार्यों के नियन्त्रण हेतु दण्ड से भिन्न होगा किन्तु प्रत्येक व्यक्ति/दुकानदारों व अन्य के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उपविधि में उल्लिखित कार्यों से बचें।

6–यह उपविधि नगर पंचायत की सीमावृद्धि किये जाने के पश्चात् बढ़ी हुई परिधि में भी आने वाले दुकानों व व्यवसायों पर भी लागू होगी।

7–कोई भी व्यक्ति कोई निमार्ण कार्य करने से पूर्व कार्यालय में इस बात कि पुष्टि करेगा कि निर्माण के दौरान उत्पन्न मलबा सही रूप से निस्तारण करेगा व उत्पन्न मलबा से किसी प्रकार का सार्वजनिक अवरोध उत्पन्न नहीं होगा।

8–नगर पंचायत, अन्तू सीमान्तर्गत स्थित समस्त दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान पर कूड़ेदान रखना अनिवार्य होगा।

9–अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, लिपिक अथवा उनके द्वारा अधिकृत नगर पंचायत के किसी भी दूसरे अधिकारी को निरीक्षण करने एवं दण्ड शुल्क लेने का अधिकार होगा।

10–नगर पंचायत अन्तू सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा दुकानदार कूड़े में आग नहीं लगायेगा।

11–इस उपविधि के प्रयोजनों के लिए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दण्ड शुल्क अधिकारी होगा व नगर पंचायत का वरिष्ठ अधिकारी उप दण्ड शुल्क अधिकारी होगा।

12–क–दण्ड शुल्क निम्नानुसार ली जायेगी :

क्र0 सं0	मद का नाम	निर्धारित दरें	
		प्रथम बार	द्वितीय व अधिक
		रु0	रु0
1	नालियों मे कूड़ा डालना	50.00	200.00
2	सडकों पर कूड़ा डालना	50.00	200.00
3	तालबों में कूड़ा डालना	100.00	500.00
4	कूड़ेदान का प्रयोग न करने पर	50.00	100.00
5	दुकानों में कूड़ेदान न रखने पर	100.00	500.00
6	मोटर गाड़ियों पर ढुलाई के दौरान सड़कों पर मलबा गिराने पर	100.00	500.00
7	मकान निर्माण के दौरान सड़कों पर निर्माण सामग्री एकत्रित करना	500.00	700.00
8	खुले में शौच	100.00	500.00

ख–यदि किसी मशीन/दुकान पर एक से अधिक कार्य किये जायें तो मूल दण्ड फीस के अतिरिक्त प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग फीस/शुल्क लिया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन उपविधियों में से किसी व्यक्ति अथवा दुकानदार द्वारा यदि इस उपविधि का बार-बार उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड रु0 1,000.00 (एक हजार रु0) तक हो सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, अन्तू,
प्रतापगढ़।

कार्यालय, नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़

21 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 242/न0प0अन्तू प्रतापगढ़-2018-19—उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़ द्वारा नगर एवं नागरिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने सीमान्तर्गत ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019'' तैयार किया गया है। जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगरवासियों व प्रभावित व्यक्ति/समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियों से पंचायत को अवगत करा सकें।

समस्त नगरवासियों व प्रभावित व्यक्तियों/समूह से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 30 दिन के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगर पंचायत कार्यालय में प्राप्त करायें जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके। समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, के अधीन दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक लोकमित्र' व ''अमित मेल'' में दिनांक 22 जनवरी, 2020 में प्रकाशित कर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किये गये थे। परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये। मा0 बोर्ड के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुए स्वीकृति प्रदान किया गया है।

अतएव, विनियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है जो प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019''

1—**संक्षिप्त नाम**—यह उपविधि नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़ दण्ड शुल्क उपविधि, 2018 कहलायेगी।

2—**परिभाषा**—जब तक विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में—

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 से है।

(ख) ''नगर'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ से है।

(ग) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू के अध्यक्ष से है।

(घ) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) ''शुल्क'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ सीमान्तर्गत दुकानों, रोजगारों/मशीन द्वारा चलने वाले रोजगारों/दुकानों पर लाइसेंस फीस/शुल्क से है।

3—इस उपविधि द्वारा नगर पंचायत, अन्तू, सीमान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने/फैलाने, खुले में शौच जाने, सार्वजनिक मार्गों पर अवरोध उत्पन्न करना सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण करना आदि पर दण्ड/फीस शुल्क कर रोपित किया जाता है।

4—इस उपविधि के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अथवा दुकानदार जो इसके अन्तर्गत आते हैं यदि सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने/फैलाने, खुले में शौच जाने, सार्वजनिक मार्गों पर अवरोध उत्पन्न करना सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण करना आदि के दोषी पाये जाने पर दण्ड शुल्क जमा किया जायेगा।

5–केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य कोई विधि विहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित कार्यों के नियन्त्रण हेतु दण्ड से भिन्न होगा, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति/दुकानदारों व अन्य के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उपविधि में उल्लिखित कार्यों से बचें।

6–यह उपविधि नगर पंचायत की सीमावृद्धि किये जाने के पश्चात् बढ़ी हुई परिधि में भी आने वाले दुकानों व व्यवसायों एवं व्यक्तियों पर भी लागू होगी।

7–कोई भी व्यक्ति कोई निमार्ण कार्य करने से पूर्व कार्यालय में इस बात कि पुष्टि करेगा कि निर्माण के दौरान उत्पन्न मलबा सही रूप से निस्तारण करेगा व उत्पन्न मलबा से किसी प्रकार का सार्वजनिक अवरोध उत्पन्न नहीं होगा।

8–नगर पंचायत, अन्तू सीमान्तर्गत स्थित समस्त दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान पर कूड़ेदान रखना अनिवार्य होगा।

9–अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, लिपिक अथवा उनके द्वारा अधिकृत नगर पंचायत के किसी भी दूसरे अधिकारी को निरीक्षण करने एवं दण्ड शुल्क लेने का अधिकार होगा।

10–नगर पंचायत, अन्तू, सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा दुकानदार कूड़े में आग नहीं लगायेगा।

11–इस उपविधि के प्रयोजनों के लिए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दण्ड शुल्क अधिकारी होगा व नगर पंचायत का वरिष्ठ अधिकारी उप दण्ड शुल्क अधिकारी होगा।

12–क–दण्ड शुल्क निम्नानुसार ली जायेगी–

क्र0सं0	मद का नाम	निर्धारित दरें	
		प्रथम बार	द्वितीय व अधिक
1	खुले में पेशाब करने पर	रु0 50.00	रु0 200.00

ख–यदि किसी मशीन/दुकान पर एक से अधिक कार्य किये जायें तो मूल दण्ड फीस के अतिरिक्त प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग फीस/शुल्क लिया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन उपविधियों में से किसी व्यक्ति अथवा दुकानदार द्वारा यदि इस उपविधि का बार-बार उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड रु0 1,000.00 (एक हजार रु0) तक हो सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, अन्तू,
प्रतापगढ़।

कार्यालय, नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़

23 जनवरी, 2019 ई0

सं0 08/न0प0अन्तू प्रतापगढ़-2018-19–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़ द्वारा नगर एवं नागरिक हितों को ध्यान में रखते हुये अपने सीमान्तर्गत ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019'' तैयार किया गया है। जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगरवासियों व प्रभावित व्यक्ति/समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियों से पंचायत को अवगत करा सकें।

समस्त नगरवासियों व प्रभावित व्यक्तियों/समूह से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 30 दिन के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगर पंचायत कार्यालय में प्राप्त करायें जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके। समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, के अधीन दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''अमर उजाला'' में दिनांक 31 जनवरी, 2019 में प्रकाशित कर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये। मा0 बोर्ड के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुए स्वीकृति प्रदान किया गया है।

अतएव, विनियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है जो प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019''

1–**संक्षिप्त नाम**–यह उपविधि नगर पंचायत, अन्तू, प्रतापगढ़ बैनर, होर्डिंग्स शुल्क उपविधि, 2019 कहलायेगी।

2–**परिभाषा**–जब तक विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 से है।

(ख) ''नगर'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ से है।

(ग) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू के अध्यक्ष से है।

(घ) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) ''शुल्क'' का तात्पर्य नगर पंचायत, अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ सीमान्तर्गत दुकानों रोजगारों/मशीन द्वारा चलने वाले रोजगारों/दुकानों पर लाइसेंस फीस/शुल्क से है।

3–इस उपविधि द्वारा नगर पंचायत, अन्तू, सीमान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर, बैनर होर्डिंग्स आदि लगवाये जाने पर अधिरोपित किया जायेगा।

4–इस उपविधि के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अथवा दुकानदार संस्था अथवा अन्य जो इसके अन्तर्गत आते हैं यदि सार्वजनिक स्थलों पर बैनर होर्डिंग्स लगावाये जाने पर शुल्क जमा किया जायेगा।

5–केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य कोई विधि विहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित कार्यों के नियन्त्रण हेतु दण्ड से भिन्न होगा किन्तु प्रत्येक व्यक्ति/दुकानदारों व अन्य के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उपविधि में उल्लिखित कार्यों को करने से पूर्व नगर पंचायत, अन्तू से अनुमति प्राप्त करे।

6–यह उपविधि नगर पंचायत की सीमावृद्धि किये जाने के पश्चात् बढ़ी हुई परिधि में भी आने वाले व्यक्तियों, दुकानों व व्यवसायों पर भी लागू होगी।

7–अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, लिपिक अथवा उनके द्वारा अधिकृत नगर पंचायत के किसी भी दूसरे अधिकारी को निरीक्षण करने एवं अवैध होर्डिंग्स हटवाने का अधिकार होगा।

8–इस उपविधि के प्रयोजनों के लिए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दण्ड शुल्क अधिकारी होगा व नगर पंचायत का वरिष्ठ अधिकारी उप दण्ड शुल्क अधिकारी होगा।

9–क–दण्ड शुल्क निम्नानुसार ली जायेगी :

क्र0सं0	मद का नाम	निर्धारित दरें प्रथम बार
1	4 × 6 के होर्डिंग्स 15 दिवस हेतु	रु0 300.00
2	4 × 6 के होर्डिंग्स 15 दिवस हेतु	रु0 500.00
3	6 × 8 के होर्डिंग्स 15 दिवस हेतु	रु0 450.00

क्र0सं0	मद का नाम	निर्धारित दरें प्रथम बार
4	6 × 8 के होर्डिंग्स 15 दिवस हेतु	रु0 650.00
5	उपरोक्त से अधिक लम्बाई चौड़ाई के बैनर होर्डिंग्स 15 दिवस हेतु	रु0 550.00
6	उपरोक्त से अधिक लम्बाई चौड़ाई के बैनर होर्डिंग्स 30 दिवस हेतु	रु0 750.00

ख–यदि किसी मशीन/दुकान पर एक से अधिक कार्य किये जायें तो मूल दण्ड फीस के अतिरिक्त प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग फीस/शुल्क लिया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन उपविधियों में से किसी व्यक्ति अथवा दुकानदार द्वारा यदि इस उपविधि का बार-बार उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड रु0 1,000.00 (एक हजार रु0) तक हो सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, अन्तू,
प्रतापगढ़।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर

21 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 664/सा0वि0/2020-21–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 सूची के शीर्षक (अ) की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत लोक सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिकोण से इस पालिका की भूमियों पर बस स्टैण्डों के संचालन हेतु शुल्क का निर्धारण, भूमि का रख-रखाव करने तथा पालिका आय में वृद्धि के लिये उपनियम तैयार किये जाने हैं। जिसके लिये पत्र संख्या 1042/एल0बी0सी0, दिनांक 04 मार्च, 2020 से अनुमति प्रदान की गयी है। इस उपविधि को नगरपालिका अधिनियम की धारा 301 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके बनायी जा रही है।

उक्त अधिनियम की धारा 301 की आपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां तथा सुझाव प्राप्त करने की दृष्टि से प्रकाशित करायी जायेगी। प्रस्तावित उपविधि पर आपत्तियों एवं सुझाव अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर को सम्बोधित करके लिखित रूप से प्रेषित किये जायेंगे। केवल उन्हीं आपित्तयों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस उपविधि के प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर प्राप्त होते हैं।

(निकाय की भूमियों पर स्थापित बस स्टैण्डों का संचालन हेतु नियमावली, 2020)

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि, नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर बस स्टैण्ड शुल्क एवं वसूली विनिमय उपविधि, 2020 कही जायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से लागू होगी।

2–परिभाषायें–

(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

[क] ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

[ख] ''बस स्टैण्ड'' का तात्पर्य पालिका की भूमि पर संचालित चार दीवारी के अन्दर वाहनों का संचालन कराये जाने से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त एवं अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हों।

3–स्थल चयन–

(1) नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर के अधीन भूमि पर बस स्टैण्डों का संचालन करने हेतु नगरपालिका द्वारा भूमि का चिन्हिकरण किया जायेगा।

(2) सवारी वाहनों के संचालन हेतु अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर की उपस्थिति में किसी समति का गठन किया जायेगा।

4–स्टैण्ड शुल्क की दरें–

(1) (क) नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर द्वारा स्टैण्ड शुल्क वसूली स्वयं के प्रतिनिधि/कर्मचारियों से करायी जायेगी।

(ख) नगरपालिका द्वारा उक्त शुल्क की वसूली हेतु निविदा आमन्त्रित कर ठेका भी दिया जा सकेगा।

			रु0
[1]	सवारी बस	–	100.00 प्रति दिन
[2]	मिनी बस	–	50.00 प्रति दिन
[3]	बुलोरो, टाटा 407	–	30.00 प्रति दिन
[4]	04 पहिया टैम्पू	–	20.00 प्रति दिन

5–विशेष नियन्त्रण–

(1) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर की राय में अथवा प्रशासन के निर्देशन में नगर में संचालित स्टैण्ड के स्थान से यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका होने पर स्थल को परिवर्तित किया जायेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर द्वारा नगर की यातायात की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये स्टैण्डों की स्थापना करेगा।

(3) नगरपालिका परिषद् की भूमि पर संचालित स्टैण्डों का निरीक्षण अधिशासी अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

(4) नगरपालिका परिषद् के स्थापित स्टैण्ड को क्षति पहुंचाने की स्थिति में क्षति का आंकलन कराकर उसकी वसूली सम्बन्धित क्षति पहुंचाने वाले वाहन स्वामी से की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
बुलन्दशहर।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

13 नवम्बर, 2019 ई0

सं0 1743/प्रशा0-एक-2007 शासनादेश संख्या–4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 को परिषद् में अंगीकृत करने हेतु परिषद् की 248वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 के मद संख्या 248/7 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में अंगीकृत किया जाता है। यह नियमावली परिषद् सेवा के सभी संवर्गो में समान रूप से लागू होगी एवं परिषद् द्वारा अब तक प्रख्यापित समस्त सेवा विनियमावलियां उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

अजय चौहान,
आवास आयुक्त।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म मेसर्स रिलायबल पेरोलायसिस पेट्रो इण्डस्ट्रीज, पता-41, मारूतिपुरम, सेक्टर-के, आशियाना, लखनऊ के तीन पार्टनर शपथीगण व विशाल अग्रवाल पुत्र श्री उमेश अग्रवाल, निवासी-41, मारूतिपुरम, सेक्टर-के, आशियाना, लखनऊ थे तथा दिनांक 01 जून, 2020 से उक्त फर्म के प्रथम पार्टनर विशाल अग्रवाल पुत्र श्री उमेश अग्रवाल हट गये हैं अब इनके स्थान पर नये पार्टनर प्रेरणा अग्रवाल सम्मिलित हो गई हैं, और अब से उक्त फर्म में तीन पार्टनर अखिल जैन व विनोद कुमार जैन एवं प्रेरणा अग्रवाल हैं।

अखिल कुमार जैन।

NOTICE

I Mohammad Latif S/o Mohammad Shahbaz, R/o Village-Semara Musthakam, Post-Sakarpar, Police Station Khesraha, Tehsil-Bansi, Distt. Siddharth Nagar have changed my name to Abdul Latif S/o Mohammad Shahbaz for all future purposes.

MOHAMMADLATIF.

सूचना

मैं बराती लाल पुत्र अयोध्या प्रसाद मौर्या, निवासी ग्राम पोस्ट डीह, तहसील सलोन, जिला रायबरेली, उ0प्र0 घोषणा करता हूं कि मेरे सेवा अभिलेखों में मेरा नाम बराती लाल है इसको बराती लाल के स्थान पर बराती

लाल मौर्या करता हूं। भविष्य में बराती लाल मौर्या नाम को ही सही माना समझा और लिखा जाये।

बराती लाल मौर्या।

सूचना

मैं, भरत जी पुत्र स्व0 मुकुंद शरण शुक्ल, निवासी 31, पंडितपुर, नरोइया जिगना, मिर्जापुर, उ0प्र0 घोषणा करता हूं कि मेरे सेवा अभिलेखों में मेरा नाम भरत जी है इसको भरत जी के स्थान पर भरत जी शुक्ल नाम को सही माना, समझा और लिखा जाये।

भरत जी शुक्ल।

सूचना

मैं ओंकार नाथ पुत्र अवध नाथ चौबे, निवासी ग्राम बिठगांव पोस्ट अकछोर, तहसील राबर्टसगंज, सोनभद्र, उ0प्र0 घोषणा करता हूं कि मेरे सेवा अभिलेखों में मेरा नाम ओंकार नाथ है इसको ओंकार नाथ के स्थान पर ओंकार नाथ चौबे करता हूं। भविष्य में ओंकार नाथ चौबे नाम को सही माना, समझा और लिखा जाये।

ओंकार नाथ चौबे।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 फलोरस डेवेलपर्स, आजाद चौक, रूस्तमपुर, जिला गोरखपुर नामक फर्म पंजीकरण सं0 जी–3997 में साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से श्री विनोद कुमार, श्री निखिल मृगवानी, श्री संगीता जमुनानी, मुहम्मद जफर खान, मुहम्मद शफकतुल्लाह, मुहम्मद अहमदुल्लाह, मुहम्मद असदुल्लाह, मुहम्मद इबादुल्लाह, मुहम्मद अब्दुल्लाह यूसुफ, मुहम्मद नुसरतुल्लाह वारसी, श्री सैयद मुहम्मद असद, सैयद मुहम्मद अमजद, सैयद मुहम्मद अहद, श्री गिरीश प्रसाद रावत व रूद्र प्रताप सिंह साझेदार थे। साझेदारी डीड दिनांक 16 अगस्त, 2018, 30 जुलाई, 2019, 22 जून, 2020 में फर्म का परिवर्तित पता मे0 फलोरस डेवेलपर्स, प्लाट नं0 177, रूस्तमपुर, निकट आजाद चौक, जिला गोरखपुर किया गया तथा श्री निखिल मृगवानी, श्री संगीता जमुनानी, मुहम्मद जफर खान, मुहम्मद असदुल्लाह, मुहम्मद इबादुल्लाह, मुहम्मद अब्दुल्लाह यूसुफ, सैयद मुहम्मद, अमजद व सैयद मुहम्मद अहद फर्म में साझेदारी से अलग हो गये हैं। दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को मो0 शफकतुल्लाह पुत्र स्व0 मो0 शौकतुल्लाह एवं मुहम्मद नुसरतुल्लाह वारसी की दिनांक 22 फरवरी, 2020 को मृत्यु हो गयी दिनांक 22 जून, 2020 से मोंहम्मद बशारतुल्लाह वारसी, पुत्र श्री नुसरतुल्लाह वारसी, म0नं0 32, बनकटी चक थाना राजघाट, गोरखपुर साझेदार के रूप में शामिल हुये हैं। किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है। उक्त सूचना दिनांक 24 अगस्त, 2020 को प्रकाशित लोक सूचना के क्रम में संशोधित पढ़ा जाये।

विनोद कुमार/साझेदार,
मे0 फलोरस डेवेलपर्स, आजाद चौक,
रूस्तमपुर, जिला गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम उर्मिला गुप्ता था जो अब बदलकर कंचन गुप्ता पत्नी बलराम गुप्ता हो गया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

कंचन गुप्ता,
पत्नी–श्री बलराम गुप्ता,
207-वी/9 क्यू/1-आर,
ओम प्रकाश सभासद नगर,
कालिन्दीपुरम्, राजरूपपुर,
नं0 593 एच0,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 मां कृषि यंत्र, सोनुघाट, देवरिया नामक फर्म साझेदारी डीड दिनांक 28 जनवरी, 2016, कार्यालय निबंधक देवरिया में पृष्ठ सं0 1 से 30 पर क्रमांक 18 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है। जिसमें डीड दिनांक 28 जनवरी, 2016 से श्री अनूप प्रताप मल्ल व श्री विवेक प्रताप मल्ल पुत्रगण स्व0 योगेश मल्ल, निवासी ग्राम गोपवापार, पो0 गड़ोना, जनपद देवरिया से साझेदार थे। संशोधित साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2019 व 10 जुलाई, 2020 से श्री अभय प्रताप मल्ल पुत्र स्व0 योगेश मल्ल, निवासी ग्राम गोपवापार, पो0 गड़ोना, जनपद देवरिया फर्म में साझेदार शामिल हुये हैं। किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

अनूप प्रताप मल्ल,
साझेदार,
मेंं0 मां कृषि यंत्र, सोनुघाट,
देवरिया।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्यामधर इण्टरप्राइजेज, पता एस-9/143, ए-3 ख, हुकुलगंज, वाराणसी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पूर्व में चार पार्टनर थे, 1–रामबहादुर सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रमा सिंह, 2–श्यामजी सिंह पुत्र श्री वकील सिंह, 3–छत्रबली सिंह पुत्र श्री वकील सिंह, 4–मालती सिंह पत्नी श्री वकील सिंह सभी का पता एस-9/143, ए-3 ख, हुकुलगंज, वाराणसी है दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से फर्म से मालती सिंह पत्नी श्री वकील सिंह हट गयी हैं, एवं रामबहादुर सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रमा सिंह के स्थान पर उनके पुत्र सुनील सिंह

पुत्र स्व0 रामबहादुर सिंह सभी का पता एस-9/143, ए-3 ख, हुकुलगंज, वाराणसी को सम्मिलित किया गया है, अब फर्म में 03 ही पार्टनर हैं। 1–श्यामजी सिंह, 2–छत्रबली सिंह, 3–सुनील सिंह।

छत्रबली सिंह,
पार्टनर।

सूचना

मैंने अपना नाम हिना कौसर सिद्दीकी से बदल कर अपना नाम हिना श्रीवास्तव रख लिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना व समझा जाये।

हिना श्रीवास्तव पत्नी श्री अंकुर श्रीवास्तव,
दुर्गानगर कालोनी, महेवा पश्चिम, नैनी,
प्रयागराज।

सूचना

यह घोषणा करता हूं, मेरी अंक तालिका हाईस्कूल (एम0पी0 बोर्ड) एवं इण्टरमीडिएट (यू0पी0 बोर्ड) जिसमें मेरे पिता जी एवं स्व0 सरिता पाण्डेय के पति का नाम जगदीश कुमार पाण्डेय अंकित है एवं मेरी माता स्व0 सरिता पाण्डेय सेवारत मृतक कनिष्ठ सहायक के सरकारी अभिलेखों में मेरे पिता व स्व0 सरिता पाण्डेय मेरी मां के पति के नाम जगदीश प्रसाद पाण्डेय नामांकित है एवं मेरे आधार एवं पैन कार्ड में पिता का नाम जगदीश प्रसाद पाण्डेय लिखा है।

आशीष पाण्डेय,
पुत्र स्व0 सरिता पाण्डेय,
एवं जगदीश प्रसाद पाण्डेय,
नि0 ई-4095, सेक्टर-12,
राजाजीपुरम्, लखनऊ।
मो0 9889869670।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स होटल गलैक्सी टॉवर एण्ड रेस्टोरेन्ट 189/1 साउथ सिविल लाईन, जिला मुजफ्फरनगर में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 की पार्टनरशिप डीड के अनुसार अभय कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवकुमार गुप्ता, निवासी 87, कुन्दन पुरा, जिला मुजफ्फर नगर व शालू गोयल पत्नी विकास गोयल, निवासी 31/52 साउथ सिविल लाईन, जिला मुजफ्फरनगर फर्म से रिटायर हो गये हैं तथा इसी दिनांक को विकास गोयल पुत्र दिनेश गोयल, निवासी 31/52 साउथ सिविल लाईन, जिला मुजफ्फर नगर नये पार्टनर के रूप में शामिल हो गये। वर्तमान में श्री रेवती नंदन श्री अजय कुमार गुप्ता व विकास गोयल पार्टनर रह गये है।

रेवती नंदन।

सूचना

मे0 लोधी इंटरप्राइजेज दीवानपुरा राठ, रजि0 सं0 जे/805, दि0 26 जून, 2001 को पंजीकृत हुई। 10 अक्टूबर, 2005 को भागीरथ, गोरीशंकर अलग हो गये। जिनके स्थान पर जगमोहन और चंद्रवती शामिल हुये। जगमोहन जी का निधन 02 अक्टूबर, 2019 में हुआ उनके स्थान पर शैलेंद्र प्रताप सिंह को साझेदार बनाया जा रहा है। यदि किसी को आपत्ति हो तो फर्म के कार्यालय अथवा कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार व फर्म सोसाइटी एवं चिट्स में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यह सूचना पेपर में प्रकाशित करा दी गयी है जो कि संलग्न है।

शैलेन्द्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स तोमर एण्ड ब्रदर्स 843ए, मोतीझील कालोनी इटावा-206001 पार्टनरशिप फर्म है जिसमें समय-समय परिवर्तन निम्नवत् होते रहे हैं–

1–पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2009 को पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2007 को संशोधित किया गया श्री धर्मेन्द्र सिंह तोमर फर्म की साझीदारी से पृथक् हो गये हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2009 को फर्म में कुल 6 साझीदार हैं।

2–पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2009 में दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को संशोधन किया गया जिसमें धर्मेन्द्र सिंह तोमर को फर्म की साझीदारी में शामिल किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2014 में फर्म के साझीदारों की संख्या कुल 7 हो गयी है।

3–पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2014 में दिनांक 03 जुलाई, 2020 को संशोधन किया गया जिसमें श्री हरिश्चन्द्र सिंह तोमर, गोपीचन्द सिंह तोमर एवं श्री सर्वेश सिंह तोमर फर्म की साझीदारी से स्वेच्छा से रिटायर्ड हो गये हैं। वर्तमान में फर्म के कुल 4 साझीदार हैं।

(1) श्री राजेन्द्र सिंह तोमर उम्र लगभग 66 वर्ष पुत्र श्री थान सिंह तोमर, निवासी 843ए मोतीझील कालोनी, जिला इटावा-206001, उ0प्र0।

(2) श्री श्रीचन्द्र सिंह तोमर उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र श्री थान सिंह तोमर, निवासी 843ए मोतीझील कालोनी, जिला इटावा-206001, उ0प्र0।

(3) श्री रूपेन्द्र प्रताप सिंह तोमर उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, निवासी 843ए मोतीझील कालोनी, जिला इटावा-206001, उ0प्र0।

(4) श्री धर्मेन्द्र सिंह तोमर उम्र लगभग 37 वर्ष पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, निवासी 843ए मोतीझील कालोनी, जिला इटावा-206001, उ0प्र0।

राजेन्द्र सिंह तोमर,
साझीदार।

सूचना

मैं बुलबुल पुत्री श्री संजय कुमार अग्रवाल, निवासी सेकण्ड ए-50 नेहरू नगर, गाजियाबाद ने अपना नाम बदलकर प्रीशा अग्रवाल कर लिया है, अब मेरा नाम भविष्य में मुझे प्रीशा अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

प्रीशा अग्रवाल।

पी0एस0यू0पी0—26 हिन्दी गजट—भाग 8—2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।